छठी अनुसूची

[अनुच्छेद 244(2) और अनुच्छेद 275(1)]

[1][असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों] के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध

[2]**1. स्वशासी जिले और स्वशासी प्रदेश**--(1) इस पैरा के उपबंधों के अधीन रहते हुए, इस अनुसूची के पैरा 20 से संलग्न सारणी के [3][[4][भाग 1, भाग 2 और भाग 2क] की प्रत्येक मद के और भाग 3] के जनजाति क्षेत्रों का एक स्वशासी जिला होगा ।

(2) यदि किसी स्वशासी जिले में भिन्न-भिन्न अनुसूचित जनजातियां हैं तो राज्यपाल, लोक अधिसूचना द्वारा, ऐसे क्षेत्र या क्षेत्रों को, जिनमें वे बसे हुए हैं, स्वशासी प्रदेशों में विभाजित कर सकेगा ।

(3) राज्यपाल, लोक अधिसूचना द्वारा,--

(क) उक्त सारणी के [3][किसी भाग] में किसी क्षेत्र को सम्मिलित कर सकेगा ;

(ख) उक्त सारणी के [3][किसी भाग] में किसी क्षेत्र को अपवर्जित कर सकेगा ;

(ग) नया स्वशासी जिला बना सकेगा ;

(घ) किसी स्वशासी जिले का क्षेत्र बढ़ा सकेगा ;

(ङ) किसी स्वशासी जिले का क्षेत्र घटा सकेगा ;

(च) दो या अधिक स्वशासी जिलों या उनके भागों को मिला सकेगा जिससे एक स्वशासी जिला बन सके ;

[5][(चच) किसी स्वशासी जिले के नाम में परिवर्तन कर सकेगा ;]

(छ) किसी स्वशासी जिले की सीमाएं परिनिश्चित कर सकेगा :

परंतु राज्यपाल इस उपपैरा के खंड (ग), खंड (घ), खंड (ङ) और खंड (च) के अधीन कोई आदेश इस अनुसूची के पैरा 14 के उपपैरा (1) के अधीन नियुक्त आयोग के प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात् ही करेगा, अन्यथा नहीं :

[6][परंतु यह और कि राज्यपाल द्वारा इस उपपैरा के अधीन किए गए आदेश में ऐसे आनुषंगिक और पारिणामिक उपबंध (जिनके अंतर्गत पैरा 20 का और उक्त सारणी के किसी भाग की किसी मद का कोई संशोधन है) अंतर्विष्ट हो सकेंगे जो राज्यपाल को उस आदेश के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक प्रतीत हों ।

---

[1] मिजोरम राज्य अधिनियम, 1986 (1986 का 34) की धारा 39 द्वारा कुछ शब्दों के स्थान पर (20-2-1987 से) प्रतिस्थापित ।

[2] संविधान (छठी अनुसूची) संशोधन अधिनियम, 2003 (2003 का 44) की धारा 2 द्वारा असम में लागू होने के लिए पैरा 1 में उपपैरा (2) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित कर संशोधित किया गया, अर्थात् :--

"परन्तु इस उपपैरा की कोई बात, बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र जिले को लागू नहीं होगी ।"।

[3] पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 (1971 का 81) की धारा 71(i) और आठवीं अनुसूची द्वारा (21-1-1972 से) "भाग क" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[4] संविधान (उनचासवां संशोधन) अधिनियम, 1984 की धारा 4 द्वारा (1-4-1985 से) "भाग 1 और भाग 2" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[5] आसाम पुनर्गठन (मेघालय) अधिनियम, 1969 (1969 का 55) की धारा 74 और चौथी अनुसूची द्वारा (2-4-1970 से) अंतःस्थापित ।

[6] पूर्वोत्तर क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम, 1971 (1971 का 81) की धारा 71(i) और आठवीं अनुसूची द्वारा (21-1-1972 से) अंतःस्थापित ।

SIXTH SCHEDULE

[Articles 244(2) and 275(1)]

Provisions as to the Administration of Tribal Areas in [1][the States of Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram]

[2]1. Autonomous districts and autonomous regions.—(1) Subject to the provisions of this paragraph, the tribal areas in each item of [3][[4][Parts I, II and IIA] and in Part III] of the table appended to paragraph 20 of this Schedule shall be an autonomous district.

(2) If there are different Scheduled Tribes in an autonomous district, the Governor may, by public notification, divide the area or areas inhabited by them into autonomous regions.

(3) The Governor may, by public notification,—

(*a*) include any area in [3][any of the Parts] of the said table,

(*b*) exclude any area from [3][any of the Parts] of the said table,

(*c*) create a new autonomous district,

(*d*) increase the area of any autonomous district,

(*e*) diminish the area of any autonomous district,

(*f*) unite two or more autonomous districts or parts thereof so as to form one autonomous district,

[5][(*ff*) alter the name of any autonomous district,]

(*g*) define the boundaries of any autonomous district:

Provided that no order shall be made by the Governor under clauses (*c*), (*d*), (*e*) and (*f*) of this sub-paragraph except after consideration of the report of a Commission appointed under sub-paragraph (1) of paragraph 14 of this Schedule:

[6][Provided further that any order made by the Governor under this sub-paragraph may contain such incidental and consequential provisions (including any amendment of paragraph 20 and of any item in any of the Parts of the said Table) as appear to the Governor to be necessary for giving effect to the provisions of the order.]

---

[1] Subs. by the State of Mizoram Act, 1986 (34 of 1986) s. 39, for certain words (w.e.f. 20-2-1987).

[2] Paragraph 1 has been amended in its application to the State of Assam by the Sixth Schedule to the Constitution (Amendment) Act, 2003 (44 of 2003), s. 2, so as to insert the following proviso after sub-paragraph (2), namely: -

"Provided that nothing in this sub-paragraph shall apply to the Bodoland Territorial Areas District.

[3] Subs. by the North-Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971 (81 of 1971), s. 71 (i) and Eighth Sch., for "Part A" (w.e.f. 21-1-1972).

[4] Subs. by the Constitution (Forty-ninth Amendment) Act, 1984, s. 4, for "Part I and II" (w.e.f. 1-4-1985).

[5] Ins. by the Assam Reorganisation (Meghalaya) Act, 1969 (55 of 1969), s. 74 and Fourth Sch. (w.e.f. 2-4-1970).

[6] Ins. by the North- Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971 (81 of 1971), s. 71(i) and Eighth Sch. (w.e.f. 21-1-1972).

[1-2]**2. जिला परिषदों और प्रादेशिक परिषदों का गठन--** [3][(1) प्रत्येक स्वशासी जिले के लिए एक जिलास परिषद् होगी जो तीस से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी जिनमें से चार से अनधिक व्यक्ति राज्यपाल द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे और शेष वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित किए जाएंगे ।

(2) इस अनुसूची के पैरा 1 के उपपैरा (2) के अधीन स्वशासी प्रदेश के रूप में गठित प्रत्येक क्षेत्र के लिए पृथक् प्रादेशिक परिषद् होगी ।

(3) प्रत्येक जिला परिषद् और प्रत्येक प्रादेशिक परिषद् क्रमशः "(जिले का नाम) की जिला परिषद्" और "(प्रदेश का नाम) की प्रादेशिक परिषद्" नामक निगमित निकाय होगी, उसका शाश्वत उत्तराधिकार होगा और उसकी सामान्य मुद्रा होगी और उक्त नाम से वह वाद लाएगी और उस पर वाद लाया जाएगा ।

(4) इस अनुसूची के उपबंधों के अधीन रहते हुए, स्वशासी जिले का प्रशासन ऐसे जिले की जिला परिषद् में वहां तक निहित होगा जहां तक वह इस अनूसूची के अधीन ऐसे जिले के भीतर किसी प्रादेशिक परिषद् में निहित नहीं हैं और स्वशासी प्रदेश का प्रशासन ऐसे प्रदेश की प्रादेशिक परिषद् में निहित होगा ।

(5) प्रादेशिक परिषद् वाले स्वशासी जिले में प्रादेशिक परिषद् के प्राधिकारी के अधीन क्षेत्रों के संबंध में जिला परिषद् को, इस अनूसूची द्वारा ऐसे क्षेत्रों के संबंध में प्रदत्त शक्तियों के अतिरिक्त केवल ऐसी शक्तियां होंगी जो उसे प्रादेशिक परिषद् द्वारा प्रत्यायोजित की जाएं ।

(6) राज्यपाल, संबंधित स्वशासी जिलों या प्रदेशों के भीतर विद्यमान जनजाति परिषदों या अन्य प्रतिनिधि जनजाति संगठनों से परामर्श करके, जिला परिषदों और प्रादेशिक परिषदों के प्रथम गठन के लिए नियम बनाएगा और ऐसे नियमों में निम्नलिखित के लिए उपबंध किए जाएंगे, अर्थात् :--

(क) जिला परिषदों और प्रादेशिक परिषदों की संरचना तथा उनमें स्थानों का आबंटन ;

(ख) उन परिषदों के लिए निर्वाचनों के प्रयोजन के लिए प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों का परिसीमन ;

(ग) ऐसे निर्वाचनों में मतदान के लिए अर्हताएं और उनके लिए निर्वाचक नामावलियों की तैयारी ;

(घ) ऐसे निर्वाचनों में ऐसी परिषदों के सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं ;

(ङ) [4][प्रादेशिक परिषदों] के सदस्यों की पदावधि ;

(च) ऐसी परिषदों के लिए निर्वाचन या नामनिर्देशन से संबंधित या संसक्त कोई अन्य विषय ;

(छ) जिला परिषदों और प्रादेशिक परिषदों की प्रक्रिया और उनका कार्य संचालन [5][(जिसके अंतर्गत किसी रिक्ति के होते हुए भी कार्य करने की शक्ति है)] ;

(ज) जिला और प्रादेशिक परिषदों के अधिकारियों और कर्मचारिवृंद की नियुक्ति ।

---

[1] संविधान छठी अनुसूची (संशोधन) अधिनियम, 2003 (2003 का 44) की धारा 2 द्वारा असम में लागू होने के लिए पैरा 2 में उपपैरा (1) के पश्चात् तथा उपपैरा (3) में परन्तुक के पश्चात् क्रमशः निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित कर संशोधित किया गया, अर्थात् :--

परंतु यह कि बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद् छियालीस से अनधिक सदस्यों से मिलकर बनेगी जिनमें से चालीस सदस्यों को व्यस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित किया जाएगा, जिनमें से तीस अनुसूचित जनजातियों के लिए, पांच गैर जनजातीय समुदायों के लिए, पांच सभी समुदायों के लिए आरक्षित होंगे तथा शेष छह राज्यपाल द्वारा नामनिर्देशित किए जाएंगे जिनके अधिकार और विशेषाधिकार, जिनके अंतर्गत मत देने के अधिकार भी हैं, वही होंगे जो अन्य सदस्यों के हैं, बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र जिले के उन समुदायों में से, जिनका प्रतिनिधित्व नहीं है, कम से कम दो महिलाएं होंगी । " ।

परंतु यह और कि बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र जिले के लिए गठित जिला परिषद् बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद् कहलाएगी ।" ।

[2] संविधान छठी अनुसूची (संशोधन) अधिनियम, 1995 (1995 का 42) की धारा 2 द्वारा असम में लागू होने के लिए पैरा 2 में उपपैरा (3) के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया गया, अर्थात् :--

"परंतु उत्तरी कछार पहाड़ी जिले के लिए गठित जिला परिषद्, उत्तरी कछार पहाड़ी स्वशासी परिषद् कहलाएगी और कार्बी आलांग जिले के लिए गठित जिला परिषद्, कार्बी आलांग स्वशासी परिषद् कहलाएगी ।";

[3] "आसाम पुनर्गठन (मेघालय) अधिनियम, 1969 (1969 का 55) की धारा 74 और चौथी अनुसूची द्वारा (2-4-1970 से) उपपैरा (1) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[4] आसाम पुनर्गठन (मेघालय) अधिनियम, 1969 (1969 का 55) की धारा 74 और चौथी अनुसूची द्वारा (2-4-1970 से) "ऐसी परिषदों" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[5] आसाम पुनर्गठन (मेघालय) अधिनियम, 1969 (1969 का 55) की धारा 74 और चौथी अनुसूची द्वारा (2-4-1970 से) अंतःस्थापित ।

[1-2]2. Constitution of District Councils and Regional Councils.—[3][(1) There shall be a District Council for each autonomous district consisting of not more than thirty members, of whom not more than four persons shall be nominated by the Governor and the rest shall be elected on the basis of adult suffrage.]

(2) There shall be a separate Regional Council for each area constituted an autonomous region under sub-paragraph (2) of paragraph 1 of this Schedule.

(3) Each District Council and each Regional Council shall be a body corporate by the name respectively of "the District Council of (*name of district*)" and "the Regional Council of (*name of region*)", shall have perpetual succession and a common seal and shall by the said name sue and be sued.

(4) Subject to the provisions of this Schedule, the administration of an autonomous district shall, in so far as it is not vested under this Schedule in any Regional Council within such district, be vested in the District Council for such district and the administration of an autonomous region shall be vested in the Regional Council for such region.

(5) In an autonomous district with Regional Councils, the District Council shall have only such powers with respect to the areas under the authority of the Regional Council as may be delegated to it by the Regional Council in addition to the powers conferred on it by this Schedule with respect to such areas.

(6) The Governor shall make rules for the first constitution of District Councils and Regional Councils in consultation with the existing tribal Councils or other representative tribal organisations within the autonomous districts or regions concerned, and such rules shall provide for—

(*a*) the composition of the District Councils and Regional Councils and the allocation of seats therein;

(*b*) the delimitation of territorial constituencies for the purpose of elections to those Councils;

(*c*) the qualifications for voting at such elections and the preparation of electoral rolls therefor;

(*d*) the qualifications for being elected at such elections as members of such Councils;

(*e*) the term of office of members of [4][Regional Councils;]

(*f*) any other matter relating to or connected with elections or nominations to such Councils;

(*g*) the procedure and the conduct of business [5][(including the power to act notwithstanding any vacancy)] in the District and Regional Councils;

(*h*) the appointment of officers and staff of the District and Regional Councils.

---

[1] Paragraph 2 has been amended in its application to the State of Assam by the Sixth Schedule to the Constitution (Amendment) Act, 1995 (42 of 1995), s.2 so as to insert the following proviso after sub-paragraph (3), namely,-

"Provided that the District Council constituted for the North Cachar Hills District shall be called as the North Cachar Hills Autonomous Council and the District Council constituted for the Karbi Anglong District shall be called as the Karbi Anglong Autonomous Council."

[2] Paragraph 2 has been amended in its application to the State of Assam by the Sixth Schedule to the Constitution (Amendment) Act, 2003 (44 of 2003), s. 2, so as to insert the following provisos after sub-paragraph (1), namely: —

"Provided that the Bodoland Territorial Council shall consist of not more than forty-six members of whom forty shall be elected on the basis of adult suffrage, of whom thirty shall be reserved for the Scheduled Tribes, five for non-tribal communities, five open for all communities and the remaining six shall be nominated by the Governor having same rights and privileges as other members, including voting rights, from amongst the un-represented communities of the Bodoland Territorial Areas District, of which at least two shall be women :

Provided further that the District Council constituted for the Bodoland Territorial Areas District shall be called the Bodoland Territorial Council." .

[3] Subs. by the Assam Reorganisation (Meghalaya) Act, 1969 (55 of 1969), s. 74 and Fourth Sch., for sub-paragraph (1) (w.e.f. 2-4-1970).

[4] Subs. by s. 74 and Fourth Sch. Ibid., for " such Councils" (w.e.f. 2-4-1970).

[5] Ins. by s. 74 and Fourth Sch., ibid. (w.e.f. 2-4-1970).

[1][(6क) जिला परिषद् के निर्वाचित सदस्य, यदि जिला परिषद पैरा 16 के अधीन पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो, परिषद् के लिए साधारण निर्वाचन के पश्चात् परिषद् के प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक पद धारण करेंगे और नामनिर्देशित सदस्य राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा :

परंतु पांच वर्ष की उक्त अवधि को, जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तब या यदि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण निर्वाचन कराना राज्यपाल की राय में असाध्य है तो, राज्यपाल ऐसी अवधि के लिए बढ़ा सकेगा जो एक बार में एक वर्ष से अधिक नहीं होगी और जब आपात की उद्घोषणा प्रवर्तन में है तब उद्घोषणा के प्रवृत्त न रह जाने के पश्चात् किसी भी दशा में उसका विस्तार छह मास की अवधि से अधिक नहीं होगा :

परंतु यह और कि आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित सदस्य उस सदस्य की, जिसका स्थान वह लेता है, शेष पदावधि के लिए पद धारण करेगा ।]

(7) जिला परिषद् या प्रादेशिक परिषद् अपने प्रथम गठन के पश्चात् [1][राज्यपाल के अनुमोदन से] इस पैरा के उपपैरा (6) में विनिर्दिष्ट विषयों के लिए नियम बना सकेगी और [1][वैसे ही अनुमोदन से]--

(क) अधीनस्थ स्थानीय परिषदों या बोर्डों के बनाए जाने तथा उनकी प्रक्रिया और उनके कार्य संचालन का, और

(ख) यथास्थिति, जिले या प्रदेश के प्रशासन विषयक कार्य करने से संबंधित साधारणतया सभी विषयों का, विनियमन करने वाले नियम भी, बना सकेगी :

परंतु जब तक जिला परिषद या प्रादेशिक परिषद् द्वारा इस उपपैरा के अधीन नियम नहीं बनाए जाते हैं तब तक राज्यपाल द्वारा इस पैरा के उपपैरा (6) के अधीन बनाए गए नियम, प्रत्येक ऐसी परिषद् के लिए निर्वाचनों, उसके अधिकारियों और कर्मचारियों तथा उसकी प्रक्रिया और उसके कार्य संचालन के संबंध में प्रभावी होंगे ।

[2]* * * * *

[3-4]**3. विधि बनाने की जिला परिषदों और प्रादेशिक परिषदों की शक्ति**--(1) स्वशासी प्रदेश की प्रादेशिक परिषद् को ऐसे प्रदेश के भीतर के सभी क्षेत्रों के संबंध में और स्वशासी जिले की जिला परिषद् को ऐसे क्षेत्रों को छोड़कर जो

---

[1] आसाम पुनर्गठन (मेघालय) अधिनियम, 1969 (1969 का 55) की धारा 74 और चौथी अनुसूची द्वारा (2-4-1970 से) अंतःस्थापित ।

[2] आसाम पुनर्गठन (मेघालय) अधिनियम, 1969 (1969 का 55) की धारा 74 और चौथी अनुसूची द्वारा (2-4-1970 से) द्वितीय परंतुक का लोप किया गया ।

[3] संविधान छठी अनुसूची (संशोधन) अधिनियम, 2003 (2003 का 44) की धारा 2 द्वारा पैरा 3 असम राज्य को लागू करने में निम्नलिखित रूप से संशोधित किया गया जिससे उपपैरा (3) निम्नलिखित रूप से प्रतिस्थापित हो सके, अर्थात् :--

"(3) पैरा 3क के उपपैरा (2) या पैरा 3ख के उपपैरा (2) में जैसा अन्यथा उपबंधित है, उसके सिवाय इस पैरा या पैरा 3क के उपपैरा (1) या पैरा 3ख के उपपैरा (1) के अधीन बनाई गई सभी विधियां राज्यपाल के समक्ष तुरंत प्रस्तुत की जाएंगी और जब तक वह उन पर अनुमति नहीं दे देता है तब तक प्रभावी नहीं होंगी ।"।

[4] संविधान (छठी अनुसूची) संशोधन अधिनियम, 1995 (1995 का 42) की धारा 2 द्वारा असम में लागू होने के लिए पैरा 3 के पश्चात् तथा संविधान छठी अनुसूची (संशोधन) अधिनियम, 2003 की धारा 2 द्वारा पैरा 3क के पश्चात् क्रमशः निम्नलिखित अंतःस्थापित किया गया, अर्थात् :--

"**3क. उत्तरी कछार पहाड़ी स्वशासी परिषद् और कार्बी आलांग स्वशासी परिषद् की विधि बनाने की अतिरिक्त शक्तियां**--(1) पैरा 3 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उत्तरी कछार पहाड़ी/स्वशासी परिषद् और कार्बी आलांग स्वशासी परिषद् को, संबंधित जिलों के भीतर निम्नलिखित की बाबत विधियां बनाने की शक्ति होगी, अर्थात् :--

(क) सातवीं अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि 7 और प्रविष्टि 52 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, उद्योग ;

(ख) संचार, अर्थात्, सड़कें, पुल, फेरी और अन्य संचार साधन, जो सातवीं अनुसूची की सूची 1 में विनिर्दिष्ट नहीं हैं, नगरपालिक ट्राम, राज्जुमार्ग, अंतर्देशीय जलमार्गों के संबंध में सातवीं अनुसूची की सूची 1 और सूची 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अंतर्देशीय जलमार्ग और उन पर यातायात, यंत्र नोदित यानों से भिन्न यान ;

(ग) पशुधन का परिरक्षण, संरक्षण और सुधार तथा जीवजंतुओं के रोगों का निवारण, पशु चिकित्सा प्रशिक्षण और व्यवसाय ; कांजी हाउस ;

(घ) प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा ;

(ङ) कृषि जिसके अंतर्गत कृषि शिक्षा और अनुसंधान, नाशक जीवों से संरक्षण और पादप रोगों का निवारण है ;

(च) मत्स्य उद्योग ;

(छ) सातवीं अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि 56 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जल, अर्थात्, जल प्रदाय, सिंचाई और नहरें, जल निकासी और तटबंध, जल भंडारण और जल शक्ति ;

(ज) सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा ; नियोजन और बेकारी ;

(झ) ग्रामों, धान के खेतों, बाजारों, शहरों आदि के संरक्षण के लिए बाढ़ नियंत्रण स्कीमें (जो तकनीकी प्रकृति की न हों) ;

(ञ) नाट्यशाला और नाट्य प्रदर्शन ; सातवीं अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि 60 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, सिनेमा, खेल-कूद, मनोरंजन और आमोद ;

(ट) लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, अस्पताल और औषधालय ;

(ठ) लघु सिंचाईं ;

(ड) खाद्य पदार्थ, पशुओं के चारे, कच्ची कपास और कच्चे जूट का व्यापार और वाणिज्य तथा उनका उत्पादन, प्रदाय और वितरण ;

(ढ) राज्य द्वारा नियंत्रित या वित्तपोषित पुस्तकालय, संग्रहालय और वैसी ही अन्य संस्थाएं संसद् द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन राष्ट्रीय महत्व के घोषित किए गए प्राचीन और ऐतिहासिक संस्मारकों और अभिलेखों से भिन्न प्राचीन और ऐतिहासिक संस्मारक और अभिलेख ; और

(ण) भूमि का अन्य संक्रामण ।

(2) पैरा 3 के अधीन या इस पैरा के अधीन उत्तरी कछार पहाड़ी स्वशासी परिषद् और कार्बी आलांग स्वशासी परिषद् द्वारा बनाई गई सभी विधियां, जहां तक उनका संबंध सातवीं अनुसूची की सूची 3 में विनिर्दिष्ट विषयों से है, राज्यपाल के समक्ष तुरंत प्रस्तुत की जाएंगी, जो उन्हें राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखेगा ।

(3) जब कोई विधि राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख ली जाती है तब राष्ट्रपति घोषित करेगा कि वह उक्त विधि पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है :

परंतु राष्ट्रपति राज्यपाल को यह निदेश दे सकेगा कि वह विधि को, यथास्थिति, उत्तरी कछार पहाड़ी स्वशासी परिषद् या कार्बी आलांग स्वशासी परिषद् को ऐसे संदेश के साथ यह अनुरोध करते हुए लौटा दे कि उक्त परिषद् विधि या उसके किन्हीं विनिर्दिष्ट उपबंधों पर पुनर्विचार करे और विशिष्टतया, किन्हीं ऐसे संशोधनों के पुरःस्थापन की वांछनीयता पर विचार करे जिनकी उसने अपने संदेश में सिफारिश की है और जब विधि इस प्रकार लौटा दी जाती है तब ऐसा संदेश मिलने की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर परिषद् ऐसी विधि पर तदनुसार विचार करेगी और यदि विधि उक्त परिषद् द्वारा संशोधन सहित या उसके बिना फिर से पारित कर दी जाती है तो उसे राष्ट्रपति के समक्ष उसके विचार के लिए फिर से प्रस्तुत किया जाएगा ।"।

"**3ख--बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद् की विधियां बनाने की अतिरिक्त शक्तियां** -- (1) पैरा 3 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद् को, अपने क्षेत्रों में, निम्नलिखित के संबंध में विधियां बनाने की शक्ति होगी, अर्थात् : --

(i) कृषि, जिसके अंतर्गत कृषि शिक्षा और अनुसंधान, नाशक जीवों से संरक्षण और पादप रोगों का निवारण है ;

(ii) पशुपालन और पशु चिकित्सा अर्थात् पशुधन का परिरक्षण, सरंक्षण और सुधार तथा जीव जंतुओं के रोगों का निवारण, पशु चिकित्सा प्रशिक्षण और व्यवसाय, कांजी हाऊस ;

(iii) सहकारिता ;

(iv) सांस्कृतिक कार्य ;

(v) शिक्षा अर्थात् प्राइमरी शिक्षा, उच्चतर माध्यमिक शिक्षा जिसमें वृत्तिक प्रशिक्षण, प्रौढ़ शिक्षा, महाविद्यालय शिक्षा (साधारण) भी है ;

(vi) मत्स्य उद्योग ;

(vii) ग्राम, धान के खेतों, बाजारों और शहरों के संरक्षण के लिए बाढ़ नियंत्रण (जो तकनीकी प्रकृति का न हो) ;

(viii) खाद्य और सिविल आपूर्ति ;

(ix) वन (आरक्षित वनों को छोड़कर) ;

(x) हथकरघा और वस्त्र ;

(xi) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण ;

(xii) सातवीं अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि 84 के उपबंधों के अधीन रहते हुए मादक लिकर, अफीम और युत्पन्न ;

(xiii) सिंचाई ;

(xiv) श्रम और रोजगार ;

(xv) भूमि और राजस्व ;

(xvi) पुस्तकालय सेवाएं (राज्य सरकार द्वारा वित्तपोषित और नियंत्रित) ;

(xvii) लाटरी (सातवीं अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि 40 के उपबंधों के अधीन रहते हुए), नाट्यशाला, नाट्य प्रदर्शन और सिनेमा (सातवीं अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि 60 के उपबंधों के अधीन रहते हुए) ;

(xviii) बाजार और मेले ;

(xix) नगर निगम, सुधार न्यास, जिला बोर्ड और अन्य स्थानीय प्राधिकारी ;

(xx) राज्य द्वारा नियंत्रित या वित्तपोषित संग्रहालय और पुरातत्व विज्ञान संस्थान, संसद् द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके राष्ट्रीय महत्व के घोषित किए गए प्राचीन और ऐतिहासिक संस्मारकों और अभिलेखों से भिन्न, प्राचीन और ऐतिहासिक संस्मारक और अभिलेख ;

(xxi) ंचायत और ग्रामीण विकास ;

(xxii) योजना और विकास ;

(xxiii) मुद्रण और लेखन सामग्री ;

उस जिले के भीतर की प्रादेशिक परिषदों के, यदि कोई हों, प्राधिकार के अधीन हैं, उस जिले के भीतर के अन्य सभी क्षेत्रों के संबंध में निम्नलिखित विषयों के लिए विधि बनाने की शक्ति होगी, अर्थात् :—

(क) किसी आरक्षित वन की भूमि से भिन्न अन्य भूमि का, कृषि या चराई के प्रयोजनों के लिए अथवा निवास के या कृषि से भिन्न अन्य प्रयोजनों के लिए अथवा किसी ऐसे अन्य प्रयोजन के लिए जिससे किसी ग्राम या नगर के निवासियों के हितों की अभिवृद्धि संभाव्य है, आंबटन, अधिभोग या उपयोग अथवा अलग रखा जाना :

परंतु ऐसी विधियों की कोई बात [1][संबंधित राज्य की सरकार को] अनिवार्य अर्जन प्राधिकृत करने वाली तत्समय प्रवृत्त विधि के अनुसार किसी भूमि का, चाहे वह अधिभोग में हो या नहीं, लोक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य अर्जन करने से निवारित नहीं करेगी ;

(ख) किसी ऐसे वन का प्रबंध जो आरक्षित वन नहीं है ;

(ग) कृषि के प्रयोजन के लिए किसी नहर या जलसरणी का उपयोग ;

(घ) झूम की पद्धति का या परिवर्ती खेती की अन्य पद्धतियों का विनियमन ;

(xxiv) लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी ;

(xxv) लोक निर्माण विभाग ;

(xxvi) प्रचार और लोक संपर्क ;

(xxvii) जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रीकरण ;

(xxviii) सहायता और पुनर्वास ;

(xxix) रेशम उत्पादन ;

(xxx) सातवीं अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि 7 और प्रविष्टि 52 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, लघु, कुटीर और ग्रामीण उद्योग ;

(xxxi) समाज कल्याण ;

(xxxii) मृदा संरक्षण ;

(xxxiii) खेलकूद और युवा कल्याण ;

(xxxiv) सांख्यिकी ;

(xxxv) पर्यटन ;

(xxxvi) परिवहन (सड़कें, पुल, फेरी और अन्य संचार साधन, जो सातवीं अनुसूची की सूची 1 में विनिर्दिष्ट नहीं हैं, नगरपालिका ट्राम, रज्जुमार्ग, अन्तरदेशीय जलमार्गों के संबंध में सातवीं अनुसूची की सूची 1 और सूची 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, अन्तरदेशीय जलमार्ग और उन पर यातायात, यंत्र नोदित यानों से भिन्न यान ;

(xxxvii) राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित और वित्त पोषित जनजाति अनुसंधान संस्थान ;

(xxxviii) शहरी विकास-नगर और ग्रामीण योजना ;

(xxxix) सातवीं अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि 50 के उपबंधों के अधीन रहते हुए बाट और माप ; और

(xl) मैदानी जनजातियों और पिछड़े वर्गों का कल्याण :

परंतु ऐसी विधियों की कोई बात,--

(क) इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख पर किसी नागरिक के उसकी भूमि के संबंध में विद्यमान अधिकारों और विशेषाधिकारों को समाप्त या उपांतरित नहीं करेगी ; और

(ख) किसी नागरिक को विरासत, आबंटन, व्यवस्थापन के रूप में या अंतरण की किसी अन्य रीति से भूमि अर्जित करने से अनुज्ञात करने से अनुज्ञात नहीं करेगी यदि ऐसा नागरिक बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र जिले के भीतर भूमि के ऐसे अर्जन के लिए अन्यथा पात्र है ।

(2) पैरा 3 के अधीन या इस पैरा के अधीन बनाई गई सभी विधियां, जहां तक उनका संबंध सातवीं अनुसूची की सूची 3 में विनिर्दिष्ट विषयों से है, राज्यपाल के समक्ष तुरंत प्रस्तुत की जाएंगी जो उन्हें राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखेगा।

(3) जब कोई विधि राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रख ली जाती है, तब राष्ट्रपति घोषित करेगा कि वह उक्त विधि पर अनुमति देता है या अनुमति रोक लेता है :

परंतु राष्ट्रपति राज्यपाल को यह संदेश दे सकेगा कि वह विधि को, बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद् को ऐसे संदेश के साथ यह अनुरोध करते हुए लौटा दे कि उक्त परिषद् विधि या उसके किन्हीं विनिर्दिष्ट उपबंधों पर पुनर्विचार करे और विशिष्टियां, किन्हीं ऐसे संशोधनों को पुरःस्थापित करने की वांछनीयता पर विचार करे जिनकी उसने अपने संदेश में सिफारिश की है और जब विधि इस प्रकार लौटा दी जाती है तब उक्त परिषद्, ऐसे संदेश की प्राप्ति की तारीख से छह मास की अवधि के भीतर ऐसी विधि पर तदनुसार विचार करेगी और यदि विधि उक्त परिषद् द्वारा, संशोधन सहित या उसके बिना, फिर से पारित कर दी जाती है तो उसे राष्ट्रपति के समक्ष उसके विचार के लिए फिर से प्रस्तुत किया जाएगा ।'' ।

[1] पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 (1971 का 81) की धारा 71(i) और आठवीं अनुसूची द्वारा (21-1-1972 से) कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(ङ) ग्राम या नगर समितियों या परिषदों की स्थापना और उनकी शक्तियां ;

(च) ग्राम या नगर प्रशासन से संबंधित कोई अन्य विषय जिसके अंतर्गत ग्राम या नगर पुलिस और लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता है ;

(छ) प्रमुखों या मुखियों की नियुक्ति या उत्तराधिकार ;

(ज) संपत्ति की विरासत ;

[1][(झ) विवाह और विवाह-विच्छेद ;]

(ञ) सामाजिक रुढ़ियां ।

(2) इस पैरा में, "आरक्षित वन" से ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है जो असम वन विनियम, 1891 के अधीन या प्रश्नगत क्षेत्र में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन आरक्षित वन है ।

(3) इस पैरा के अधीन बनाई गई सभी विधियां राज्यपाल के समक्ष तुरंत प्रस्तुत की जाएंगी और जब तक वह उन पर अनुमति नहीं दे देता है तब तक प्रभावी नहीं होंगी ।

[2]**4. स्वशासी जिलों और स्वशासी प्रदेशों में न्याय प्रशासन**--(1) स्वशासी प्रदेश की प्रादेशिक परिषद् ऐसे प्रदेश के भीतर के क्षेत्रों के संबंध में और स्वशासी जिले की जिला परिषद् ऐसे क्षेत्रों से भिन्न जो उस जिले के भीतर की प्रादेशिक परिषदों के, यदि कोई हों, प्राधिकार के अधीन हैं, उस जिले के भीतर के अन्य क्षेत्रों के संबंध में, ऐसे वादों और मामलों के विचारण के लिए जो ऐसे पक्षकारों के बीच हैं जिनमें से सभी पक्षकार ऐसे क्षेत्रों के भीतर की अनुसूचित जनजातियों के हैं तथा जो उन वादों और मामलों से भिन्न हैं जिनको इस अनुसूची के पैरा 5 के उपपैरा (1) के उपबंध लागू होते हैं, उस राज्य के किसी न्यायालय का अपवर्जन करके ग्राम परिषदों या न्यायालयों का गठन कर सकेगी और उपुयक्त व्यक्तियों को ऐसी ग्राम परिषद के सदस्य या ऐसे न्यायालयों के पीठासीन अधिकारी नियुक्त कर सकेगी और ऐसे अधिकारी भी नियुक्त कर सकेगी जो इस अनुसूची के पैरा 3 के अधीन बनाई गई विधियों के प्रशासन के लिए आवश्यक हों ।

(2) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी, स्वशासी प्रदेश की प्रादेशिक परिषद् या उस प्रादेशिक परिषद् द्वारा इस निमित्त गठित कोई न्यायालय या यदि किसी स्वशासी जिले के भीतर के किसी क्षेत्र के लिए कोई प्रादेशिक परिषद् नहीं है तो, ऐसे जिले की जिला परिषद् या उस जिला परिषद् द्वारा इस निमित्त गठित कोई न्यायालय ऐसे सभी वादों और मामलों के संबंध में जो, यथास्थिति, ऐसे प्रदेश या क्षेत्र के भीतर इस पैरा के उपपैरा (1) के अधीन गठित किसी ग्राम परिषद् या न्यायालय द्वारा विचारणीय हैं तथा जो उन वादों और मामलों से भिन्न हैं जिनको इस अनुसूची के पैरा 5 के उपपैरा (1) के उपबंध लागू होते हैं अपील न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय से भिन्न किसी अन्य न्यायालय को ऐसे वादों या मामलों में अधिकारिता नहीं होगी ।

(3) [3]*** उच्च न्यायालय को, उन वादों और मामलों में जिनको इस पैरा के उपपैरा (2) के उपबंध लागू होते हैं, ऐसी अधिकारिता होगी और वह उसका प्रयोग करेगा जो राज्यपाल समय-समय पर आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे ।

(4) यथास्थिति, प्रादेशिक परिषद् या जिला परिषद् राज्यपाल के पूर्व अनुमोदन से निम्नलिखित के विनियमन के लिए नियम बना सकेगी, अर्थात् :--

(क) ग्राम परिषदों और न्यायालयों का गठन और इस पैरा के अधीन उनके द्वारा प्रयोक्तव्य शक्तियां ;

---

[1] आसाम पुनर्गठन (मेघालय) अधिनियम, 1969 (1969 का 55) की धारा 74 और चौथी अनुसूची द्वारा (2-4-1970 से) खंड (झ) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] संविधान छठी अनुसूची (संशोधन) अधिनियम, 2003 (2003 का 44) की धारा 2 द्वारा पैरा 4 असम राज्य को लागू करने में निम्नलिखित रूप से संशोधित किया गया जिससे उपपैरा (5) के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जा सके, अर्थात् :--

"(6) इस पैरा की कोई बात, इस अनुसूची के पैरा 2 के उपपैरा (3) के परंतुक के अधीन गठित बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद् को लागू नहीं होगी ।"।

[3] पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 (1971 का 81) की धारा 71(i) और आठवीं अनुसूची द्वारा (21-1-1972 से) "आसाम के" शब्दों का लोप किया गया ।

[1-2]2. Constitution of District Councils and Regional Councils.—[3][(1) There shall be a District Council for each autonomous district consisting of not more than thirty members, of whom not more than four persons shall be nominated by the Governor and the rest shall be elected on the basis of adult suffrage.]

(2) There shall be a separate Regional Council for each area constituted an autonomous region under sub-paragraph (2) of paragraph 1 of this Schedule.

(3) Each District Council and each Regional Council shall be a body corporate by the name respectively of "the District Council of (*name of district*)" and "the Regional Council of (*name of region*)", shall have perpetual succession and a common seal and shall by the said name sue and be sued.

(4) Subject to the provisions of this Schedule, the administration of an autonomous district shall, in so far as it is not vested under this Schedule in any Regional Council within such district, be vested in the District Council for such district and the administration of an autonomous region shall be vested in the Regional Council for such region.

(5) In an autonomous district with Regional Councils, the District Council shall have only such powers with respect to the areas under the authority of the Regional Council as may be delegated to it by the Regional Council in addition to the powers conferred on it by this Schedule with respect to such areas.

(6) The Governor shall make rules for the first constitution of District Councils and Regional Councils in consultation with the existing tribal Councils or other representative tribal organisations within the autonomous districts or regions concerned, and such rules shall provide for—

(*a*) the composition of the District Councils and Regional Councils and the allocation of seats therein;

(*b*) the delimitation of territorial constituencies for the purpose of elections to those Councils;

(*c*) the qualifications for voting at such elections and the preparation of electoral rolls therefor;

(*d*) the qualifications for being elected at such elections as members of such Councils;

---

[1] Paragraph 2 has been amended in its application to the State of Assam by the Sixth Schedule to the Constitution (Amendment) Act, 1995 (42 of 1995), s.2 so as to insert the following proviso after sub-paragraph (3), namely,-

"Provided that the District Council constituted for the North Cachar Hills District shall be called as the North Cachar Hills Autonomous Council and the District Council constituted for the Karbi Anglong District shall be called as the Karbi Anglong Autonomous Council."

[2] Paragraph 2 has been amended in its application to the State of Assam by the Sixth Schedule to the Constitution (Amendment) Act, 2003 (44 of 2003), s. 2, so as to insert the following provisos after sub-paragraph (1), namely: —

"Provided that the Bodoland Territorial Council shall consist of not more than forty-six members of whom forty shall be elected on the basis of adult suffrage, of whom thirty shall be reserved for the Scheduled Tribes, five for non-tribal communities, five open for all communities and the remaining six shall be nominated by the Governor having same rights and privileges as other members, including voting rights, from amongst the un-represented communities of the Bodoland Territorial Areas District, of which at least two shall be women :

Provided further that the District Council constituted for the Bodoland Territorial Areas District shall be called the Bodoland Territorial Council." .

[3] Subs. by the Assam Reorganisation (Meghalaya) Act, 1969 (55 of 1969), s. 74 and Fourth Sch., for sub-paragraph (1) (w.e.f. 2-4-1970).

(*e*) the term of office of members of [1][Regional Councils;]

(*f*) any other matter relating to or connected with elections or nominations to such Councils;

(*g*) the procedure and the conduct of business [2][(including the power to act notwithstanding any vacancy)] in the District and Regional Councils;

(*h*) the appointment of officers and staff of the District and Regional Councils.

[3][(6A) The elected members of the District Council shall hold office for a term of five years from the date appointed for the first meeting of the Council after the general elections to the Council, unless the District Council is sooner dissolved under paragraph 16 and a nominated member shall hold office at the pleasure of the Governor:

Provided that the said period of five years may, while a Proclamation of Emergency is in operation or if circumstances exist which, in the opinion of the Governor, render the holding of elections impracticable, be extended by the Governor for a period not exceeding one year at a time and in any case where a Proclamation of Emergency is in operation not extending beyond a period of six months after the Proclamation has ceased to operate:

Provided further that a member elected to fill a casual vacancy shall hold office only for the remainder of the term of office of the member whom he replaces.]

(7) The District or the Regional Council may after its first constitution make rules with the approval of the Governor with regard to the matters specified in sub-paragraph (6) of this paragraph and may also make rules with like approval regulating—

(*a*) the formation of subordinate local Councils or Boards and their procedure and the conduct of their business; and

(*b*) generally all matters relating to the transaction of business pertaining to the administration of the district or region, as the case may be:

Provided that until rules are made by the District or the Regional Council under this sub-paragraph the rules made by the Governor under sub-paragraph (6) of this paragraph shall have effect in respect of elections to, the officers and staff of, and the procedure and the conduct of business in, each such Council.

[4]* * * * *

[5-6]**3. Powers of the District Councils and Regional Councils to make laws.—**(1) The Regional Council for an autonomous region in respect of all areas within such region and the

---

1 Subs. by s. 74 and Fourth Sch. Ibid., for " such Councils" (w.e.f. 2-4-1970).
2 Ins. by s. 74 and Fourth Sch., ibid. (w.e.f. 2-4-1970).
3 Ins. by the Assam Reorganisation (Meghalaya) Act, 1969 (55 of 1969), s. 74 and Fourth Sch. (w.e.f. 2-4-1970).
4 Second proviso omitted by s. 74 and Fourth Sch., *ibid.* (w.e.f. 2-4-1970).
5 Paragraph 3 has been amended in its application to the State of Assam by the Sixth Schedule to the Constitution (Amendment) Act, 2003 (44 of 2003), s. 2 , so as to substitute sub-paragraph (3) as under, -

"(3) Save as otherwise provided in sub-paragraph (2) of paragraph 3A or sub-paragraph (2) of paragraph 3B, all laws made under this paragraph or sub-paragraph (1) of paragraph 3A or sub-paragraph (1) of paragraph 3B shall be submitted forthwith to the Governor and, until assented to by him, shall have no effect." .

6 After paragraph 3, the following paragraph has been inserted in its application to the State of Assam by the Sixth Schedule to the Constitution (Amendment) Act, 1995 (42 of 1995), s. 2 and after paragraph 3A, the following paragraph has been inserted in its application to the State of Assam by the Sixth Schedule to the Constitution (Amendment) Act, 2003 (44 of 2003), s. 2, namely: —

"3A. Additional powers of the North Cachar Hills Autonomous Council and the Karbi Anglong Autonomous Council to make laws.—(1) Without prejudice to the provisions of paragraph 3, the North Cachar Hills Autonomous Council and the Karbi Anglong Autonomous Council within their respective districts, shall have power to make laws with respect to—

(*a*) industries, subject to the provisions of entries 7 and 52 of List I of the Seventh Schedule;

(*b*) communications, that is to say, roads, bridges, ferries and other means of communication not specified in List I of the Seventh Schedule; municipal tramways, ropeways, inland waterways and traffic thereon subject to the provisions of List I and List III of the

Seventh Schedule with regard to such waterways; vehicles other than mechanically propelled vehicles;

(*c*) preservation, protection and improvement of stock and prevention of animal diseases; veterinary training and practice; cattle pounds;

(*d*) primary and secondary education;

(*e*) agriculture, including agricultural education and research, protection against pests and prevention of plant diseases;

(*f*) fisheries;

(*g*) water, that is to say, water supplies, irrigation and canals, drainage and embankments, water storage and water power subject to the provisions of entry 56 of List I of the Seventh Schedule;

(*h*) social security and social insurance; employment and unemployment;

(*i*) flood control schemes for protection of villages, paddy fields, markets, towns, etc. (not of technical nature);

(*j*) theatre and dramatic performances, cinemas subject to the provisions of entry 60 of List I of the Seventh Schedule; sports, entertainments and amusements;

(*k*) public health and sanitation, hospitals and dispensaries;

(*l*) minor irrigation;

(*m*) trade and commerce in, and the production supply and distribution of, food stuffs, cattle fodder, raw cotton and raw jute;

(*n*) libraries, museums and other similar institutions controlled or financed by the State; ancient and historical monuments and records other than those declared by or under any law made by Parliament to be of national importance; and

(*o*) alienation of land.

(2) All laws made by the North Cachar Hills Autonomous Council and the Karbi Anglong Autonomous Council under paragraph 3 or under this paragraph shall, in so far as they relate to matters specified in List III of the Seventh Schedule, be submitted forthwith to the Governor who shall reserve the same for the consideration of the President.

(3) When a law is reserved for the consideration of the President, the President shall declare either that he assents to the said law or that he withholds assent therefrom:

Provided that the President may direct the Governor to return the law to the North Cachar Hills Autonomous Council or the Karbi Anglong Autonomous Council, as the case may be, together with a message requesting that the said Council will reconsider the law or any specified provisions thereof and, in particular, will consider the desirability of introducing any such amendments as he may recommend in his message and, when the law is so returned, the said Council shall consider the law accordingly within a period of six months from the date of receipt of such message and, if the law is again passed by the said Council with or without amendment it shall be presented again to the President for his consideration.

3B. **Additional powers of the Bodoland Territorial Council to make laws.**—(1) Without prejudice to the provisions of paragraph 3, the Bodoland Territorial Council within its areas shall have power to make laws with respect to :-

(i) agriculture, including agricultural education and research, protection against pests and prevention of plant diseases;

(ii) animal husbandry and veterinary, that is to say, preservation, protection and improvement of stock and prevention of animal diseases, veterinary training and practice, cattle pounds;

(iii) co-operation;

(iv) cultural affairs;

(v) education, that is to say, primary education, higher secondary including vocational training, adult education, college education (general);

(vi) fisheries;

(vii) flood control for protection of village, paddy fields, markets and towns (not of technical nature); (viii) Food and civil supply;

(ix) forests (other than reserved forests);

(x) handloom and textile;

(xi) health and family welfare,

(xii) intoxicating liquors, opium and derivatives, subject to the provisions of entry 84 of List I of the Seventh Schedule;

(xiii) irrigation;

(xiv) labour and employment;

(xv) land and revenue;

(xvi) library services (financed and controlled by the State Government);

(xvii) lotteries (subject to the provisions of entry 40 of List I of the Seventh Schedule), theatres, dramatic performances and cinemas (subject to the provisions of entry 60 of List I of the Seventh Schedule);

(xviii) markets and fairs;

(xix) municipal corporation, improvement trust, district boards and other local authorities;

(xx) museum and archaeology institutions controlled or financed by the State, ancient and historical monuments and records other than those declared by or under any law made by Parliament to be of national importance;

(xxi) panchayat and rural development;

(xxii) planning and development;

(xxiii) printing and stationery;

(xxiv) pubic health engineering;

(xxv) public works department;

(xxvi) publicity and public relations;

(xxvii) registration of births and deaths;

(xxviii) relief and rehabilitation;

(xxix) sericulture;

(xxx) small, cottage and rural industry subject to the provisions of entries 7 and 52 of List I of the Seventh Schedule;

(xxxi) social Welfare;

(xxxii) soil conservation;

(xxxiii) sports and youth welfare;

(xxxiv) statistics;

(xxxv) tourism;

(xxxvi) transport (roads, bridges, ferries and other means of communications not specified in List I of the Seventh Schedule, municipal tramways, ropeways, inland waterways and traffic thereon subject to the provision of List I and List III of the Seventh Schedule with regard to such waterways, vehicles other than mechanically propelled vehicles);

(xxxvii) tribal research institute controlled and financed by the State Government;

(xxxviii) urban development—town and country planning;

(xxxix) weights and measures subject to the provisions of entry 50 of List I of the Seventh Schedule; and (xl) Welfare of plain tribes and backward classes:

Provided that nothing in such laws shall--

(a) extinguish or modify the existing rights and privileges of any citizen in respect of his land at the date of commencement of this Act; and

(b) disallow and citizen from acquiring land either by way of inheritance, allotment, settlement or by any other way of transfer if such citizen is otherwise eligible for such acquisition of land within the Bodoland Territorial Areas District.

(2) All laws made under paragraph 3 or under this paragraph shall in so far as they relate to matters specified in List III of the Seventh Schedule, be submitted forthwith to the Governor who shall reserve the same for the consideration of the President.

(3) When a law is reserved for the consideration of the President, the President shall declare either that he assents to the said law or that he withholds assent therefrom:

Provided that the President may direct the Governor to return the law to the Bodoland Territorial Council, together with the message requesting that the said Council will reconsider the law or any specified provisions thereof and, in particular, will consider the desirability of introducing any such amendments as he may recommend in his message and, when the law is so returned, the said Council shall consider the law accordingly within a period of six month from the date of receipt of such message and, if the law is again passéd by the said Council with or without amendments it shall be presented again to the President for his consideration."

District Council for an autonomous district in respect of all areas within the district except those which are under the authority of Regional Councils, if any, within the district shall have power to make laws with respect to—

(*a*) the allotment, occupation or use, or the setting apart, of land, other than any land which is a reserved forest for the purposes of agriculture or grazing or for residential or other non-agricultural purposes or for any other purpose likely to promote the interests of the inhabitants of any village or town:

Provided that nothing in such laws shall prevent the compulsory acquisition of any land, whether occupied or unoccupied, for public purposes [1][by the Government of the State concerned] in accordance with the law for the time being in force authorising such acquisition;

(*b*) the management of any forest not being a reserved forest;

(*c*) the use of any canal or water-course for the purpose of agriculture;

(*d*) the regulation of the practice of *jhum* or other forms of shifting cultivation;

(*e*) the establishment of village or town committees or councils and their powers;

(*f*) any other matter relating to village or town administration, including village or town police and public health and sanitation;

(*g*) the appointment or succession of Chiefs or Headmen;

(*h*) the inheritance of property;

[2][(*i*) marriage and divorce;]

(*j*) social customs.

(2) In this paragraph, a "reserved forest" means any area which is a reserved forest under the Assam Forest Regulation, 1891, or under any other law for the time being in force in the area in question.

(3) All laws made under this paragraph shall be submitted forthwith to the Governor and, until assented to by him, shall have no effect.

[3]**4. Administration of justice in autonomous districts and autonomous regions.**—(1) The Regional Council for an autonomous region in respect of areas within such region and the District Council for an autonomous district in respect of areas within the district other than those which are under the authority of the Regional Councils, if any, within the district may constitute

---

1 Subs. by the North -Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971 (81 of 1971), s. 71 (i) and Eighth Sch., for cetain words (w.e.f. 21-1-1972).

2 Subs. by the Assam Reorganisation (Meghalaya) Act, 1969 (55 of 1969), s. 74 and Fourth Sch., for cl. (i) (w.e.f. 2-4-1970).

3 Paragraph 4 has been amended in its application to the State of Assam by the Sixth Schedule to the Constitution (Amendment) Act, 2003 (44 of 2003), s. 2, so as to insert the following sub-paragraph after sub-paragraph (5), namely :—

"(6) Nothing in this paragraph shall apply to the Bodoland Territorial Council constituted under the proviso to sub-paragraph (3) of paragraph 2 of this Schedule." .

village councils or courts for the trial of suits and cases between the parties all of whom belong to Scheduled Tribes within such areas, other than suits and cases to which the provisions of sub-paragraph (1) of paragraph 5 of this Schedule apply, to the exclusion of any court in the State, and may appoint suitable persons to be members of such village councils or presiding officers of such courts, and may also appoint such officers as may be necessary for the administration of the laws made under paragraph 3 of this Schedule.

(2) Notwithstanding anything in this Constitution, the Regional Council for an autonomous region or any court constituted in that behalf by the Regional Council or, if in respect of any area within an autonomous district there is no Regional Council, the District Council for such district, or any court constituted in that behalf by the District Council, shall exercise the powers of a court of appeal in respect of all suits and cases triable by a village council or court constituted under sub-paragraph (1) of this paragraph within such region or area, as the case may be, other than those to which the provisions of sub-paragraph (1) of paragraph 5 of this Schedule apply, and no other court except the High Court and the Supreme Court shall have jurisdiction over such suits or cases.

(3) The High Court [1]*** shall have and exercise such jurisdiction over the suits and cases to which the provisions of sub-paragraph (2) of this paragraph apply as the Governor may from time to time by order specify.

(4) A Regional Council or District Council, as the case may be, may with the previous approval of the Governor make rules regulating —

(a) the constitution of village councils and courts and the powers to be exercised by them under this paragraph;

[1] The words "of Assam" omitted by the North-Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971 (81 of 1971), s. 71 (i) and Eighth Sch., (w.e.f. 21-1-1972).

(ख) इस पैरा के उपपैरा (1) के अधीन वादों और मामलों के विचारण में ग्राम परिषदों या न्यायालयों द्वारा अनुसरण की जाने वाले प्रक्रिया ;

(ग) इस पैरा के उपपैरा (2) के अधीन अपीलों और अन्य कार्यवाहियों में प्रादेशिक परिषद् या जिला परिषद् अथवा ऐसी परिषद् द्वारा गठित किसी न्यायालय द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया ;

(घ) ऐसी परिषदों और न्यायालयों के विनिश्चयों और आदेशों का प्रवर्तन ;

(ङ) इस पैरा के उपपैरा (1) और उपपैरा (2) के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए अन्य सभी आनुषंगिक विषय ।

[1][(5) उस तारीख को और से जो राष्ट्रपति [2][संबंधित राज्य की सरकार से परामर्श करने के पश्चात्] अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियत करे, यह पैरा ऐसे स्वशासी जिले या स्वशासी प्रदेश के संबंध में, जो उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए, इस प्रकार प्रभावी होगा मानो--

(i) उपपैरा (1) में, ''जो ऐसे पक्षकारों के बीच हैं जिनमें से सभी पक्षकार ऐसे क्षेत्रों के भीतर की अनुसूचित जनजातियों के हैं तथा जो उन वादों और मामलों से भिन्न हैं जिनको इस अनुसूची के पैरा 5 के उपपैरा (1) के उपबंध लागू होते हैं,'' शब्दों के स्थान पर, ''जो इस अनुसूची के पैरा 5 के उपपैरा (1) में निर्दिष्ट प्रकृति के ऐसे वाद और मामले नहीं है जिन्हें राज्यपाल इस निमित्त विनिर्दिष्ट करें,'' शब्द रख दिए गए हों ;

(ii) उपपैरा (2) और उपपैरा (3) का लोप कर दिया गया हो ;

(iii) उपपैरा (4) में--

(क) ''यथास्थिति, प्रादेशिक परिषद् या जिला परिषद्, राज्यपाल के पूर्व अनुमोदन से, निम्नलिखित के विनियमन के लिए नियम बना सकेगी, अर्थात् :--'' शब्दों के स्थान पर, ''राज्यपाल निम्नलिखित के विनियमन के लिए नियम बना सकेगा, अर्थात् :--'' शब्द रख दिए गए हों ; और

(ख) खंड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रख दिया गया हो, अर्थात् :--

''(क) ग्राम परिषदों और न्यायालयों का गठन, इस पैरा के अधीन उनके द्वारा प्रयोक्तव्य शक्तियां और वे न्यायालय जिनको ग्राम परिषदों और न्यायालयों के विनिश्चयों से अपीलें हो सकेंगी ;'';

(ग) खंड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रख दिया गया हो, अर्थात् :--

''(ग) प्रादेशिक परिषद् या जिला परिषद् अथवा ऐसी परिषद् द्वारा गठित किसी न्यायालय के समक्ष उपपैरा (5) के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नियत तारीख से ठीक पहले लंबित अपीलों और अन्य कार्यवाहियों का अंतरण,''; और

(घ) खंड (ङ) में ''उपपैरा (1) और उपपैरा (2)'' शब्दों, कोष्ठकों और अंकों के स्थान पर, ''उपपैरा (1)'' शब्द, कोष्ठक और अंक रख दिए गए हों ।]

5. कुछ वादों, मामलों और अपराधों के विचारण के लिए प्रादेशिक परिषदों और जिला परिषदों को तथा किन्हीं न्यायालयों और अधिकारियों को सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 और दंड प्रक्रिया संहिता, 1898[3] के अधीन शक्तियों का प्रदान किया जाना--(1) राज्यपाल, किसी स्वशासी जिले या स्वशासी प्रदेश में किसी ऐसी प्रवृत्त विधि से, जो ऐसी विधि है जिसे राज्यपाल इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे, उद्भूत वादों या मामलों के विचारण के लिए अथवा भारतीय दंड संहिता के अधीन या ऐसे जिले या प्रदेश में तत्समय लागू किसी अन्य विधि के अधीन मृत्यु से, आजीवन निर्वासन से या पांच वर्ष से अन्यून अवधि के लिए कारावास से दंडनीय अपराधों के विचारण के लिए, ऐसे जिले या प्रदेश पर प्राधिकार रखने वाली जिला परिषद् या प्रादेशिक परिषद् को अथवा ऐसी जिला परिषद् द्वारा गठित न्यायालयों को अथवा राज्यपाल द्वारा इस निमित्त नियुक्त किसी अधिकारी को, यथास्थिति, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 या दंड प्रक्रिया संहिता, 1898[4] के अधीन ऐसी शक्तियां प्रदान कर सकेगा जो वह समुचित समझे और तब उक्त परिषद्, न्यायालय या अधिकारी इस प्रकार प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वादों, मामलों या अपराधों का विचारण करेगा ।

---

[1] आसाम पुनर्गठन (मेघालय) अधिनियम, 1969 (1969 का 55) की धारा 74 और चौथी अनुसूची द्वारा (2-4-1970 से) अंतःस्थापित ।

[2] पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 (1971 का 81) की धारा 71(i) और आठवीं अनुसूची द्वारा (21-1-1972 से) कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[3] अब दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) देखें ।

[4] अब दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) देखें ।

(*b*) the procedure to be followed by village councils or courts in the trial of suits and cases under sub-paragraph (1) of this paragraph;

(*c*) the procedure to be followed by the Regional or District Council or any court constituted by such Council in appeals and other proceedings under sub-paragraph (2) of this paragraph;

(*d*) the enforcement of decisions and orders of such councils and courts;

(*e*) all other ancillary matters for the carrying out of the provisions of sub-paragraphs (1) and (2) of this paragraph.

[1][**(5) On and from such date as the President may, [2][after consulting the Government of the State concerned], by notification appoint in this behalf, this paragraph shall have effect in relation to such autonomous district or region as may be specified in the notification, as if—**

(*i*) in sub-paragraph (1), for the words "between the parties all of whom belong to Scheduled Tribes within such areas, other than suits and cases to which the provisions of sub-paragraph (1) of paragraph 5 of this Schedule apply,", the words "not being suits and cases of the nature referred to in sub-paragraph (1) of paragraph (5) of this Schedule, which the Governor may specify in this behalf," had been substituted;

(*ii*) sub-paragraphs (2) and (3) had been omitted;

(*iii*) in sub-paragraph (4)—

(*a*) for the words "A Regional Council or District Council, as the case may be, may with the previous approval of the Governor make rules regulating", the words "the Governor may make rules regulating" had been substituted; and

(*b*) for clause (*a*), the following clause had been substituted, namely:—

"(*a*) the constitution of village councils and courts, the powers to be exercised by them under this paragraph and the courts to which appeals from the decisions of village councils and courts shall lie;";

(*c*) for clause (*c*), the following clause had been substituted, namely:—

"(*c*) the transfer of appeals and other proceedings pending before the Regional or District Council or any court constituted by such Council immediately before the date appointed by the President under sub-paragraph (5);"; and

(*d*) in clause (*e*), for the words, brackets and figures "sub-paragraphs (1) and (2)", the word, brackets and figure "sub-paragraph (1)" had been substituted.]

5. Conferment of powers under the Code of Civil Procedure, 1908, and the Code of Criminal Procedure, 1898[3], on the Regional and District Councils and on certain courts and officers for the trial of certain suits, cases and offences.—(1) The Governor may, for the trial of suits or cases arising out of any law in force in any autonomous district or region being a law specified in that behalf by the Governor, or for the trial of offences punishable with death, transportation for life, or imprisonment for a term of not less than five years under the Indian Penal Code or under any other law for the time being applicable to such district or region, confer on the District Council or the Regional Council having authority over such district or region or on courts constituted by such District Council or on any officer appointed in that behalf by the Governor, such powers under the Code of Civil Procedure, 1908, or, as the case may be, the Code of Criminal Procedure, 1898[4], as he deems appropriate, and thereupon the said Council, court or officer shall try the suits, cases or offences in exercise of the powers so conferred.

---

[1] Ins. by the Assam Reorganisation (Meghalaya) Act, 1969 (55 of 1969), s. 74 and Fourth Sch. (w.e.f. 2-4-1970).

[2] subs. by the North- Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971 (81 of 1971), s. 71 (i) and Eighth Sch., for certain words (w.e.f. 21-1-1972).

[3] *See* now the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974).

[4] *See* now the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act 2 of 1974).

(2) राज्यपाल, इस पैरा के उपपैरा (1) के अधीन किसी जिला परिषद्, प्रादेशिक परिषद्, न्यायालय या अधिकारी को प्रदत्त शक्तियों में से किसी शक्ति को वापस ले सकेगा या उपांतरित कर सकेगा ।

(3) इस पैरा में अभिव्यक्त रूप से यथा उपबंधित के सिवाय, सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 और दंड प्रक्रिया संहिता, 1898[1] किसी स्वशासी जिले में या किसी स्वशासी प्रदेश में, जिसको इस पैरा के उपबंध लागू होते हैं, किन्हीं वादों, मामलों या अपराधों के विचारण को लागू नहीं होगी ।

[1][(4) राष्ट्रपति द्वारा किसी स्वशासी जिले या स्वशासी प्रदेश के संबंध में पैरा 4 के उपपैरा (5) के अधीन नियत तारीख को और से, उस जिले या प्रदेश को लागू होने में इस पैरा की किसी बात के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वह किसी जिला परिषद् या प्रादेशिक परिषद् को या जिला परिषद् द्वारा गठित न्यायालयों को इस पैरा के उपपैरा (1) में निर्दिष्ट शक्तियों में से कोई शक्ति प्रदान करने के लिए राज्यपाल को प्राधिकृत करती है ।]

[2][**6. प्राथमिक विद्यालय आदि स्थापित करने की जिला परिषद् की शक्ति**--(1) स्वशासी जिले की जिला परिषद् जिले में प्राथमिक विद्यालयों, औषधालयों, बाजारों, [3][कांजी हाउसों], फेरी, मीन क्षेत्रों, सड़कों, सड़क परिवहन और जल मार्गों की स्थापना, निर्माण और प्रबंध कर सकेगी तथा राज्यपाल के पूर्व अनुमोदन से, उनके विनियमन और नियंत्रण के लिए विनियम बना सकेगी और, विशिष्टतया, वह भाषा और वह रीति विहित कर सकेगी, जिससे जिले के प्राथमिक विद्यालयों में प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी ।

(2) राज्यपाल, जिला परिषद् की सहमति से उस परिषद् को या उसके अधिकारियों को कृषि, पशुपालन, सामुदायिक परियोजनाओं, सहकारी सोसाइटियों, समाज कल्याण, ग्राम योजना या किसी अन्य ऐसे विषय के संबंध में, जिस पर [4]*** राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है, कृत्य सशर्त या बिना शर्त सौंप सकेगा ।]

7. जिला और प्रादेशिक निधियां--(1) प्रत्येक स्वशासी जिले के लिए एक जिला निधि और प्रत्येक स्वशासी प्रदेश के लिए एक प्रादेशिक निधि गठित की जाएगी जिसमें क्रमशः उस जिले की जिला परिषद् द्वारा और उस प्रदेश की प्रादेशिक परिषद् द्वारा इस संविधान के उपबंधों के अनुसार, यथास्थिति, उस जिले या प्रदेश के प्रशासन के अनुक्रम में प्राप्त सभी धनराशियां जमा की जाएंगी ।

[5][(2) राज्यपाल, यथास्थिति, जिला निधि या प्रादेशिक निधि के प्रबंध के लिए और उक्त निधि में धन जमा करने, उसमें से धनराशियां निकालने, उसके धन की अभिरक्षा और पूर्वोक्त विषयों से संबंधित या आनुषंगिक किसी अन्य विषय के संबंध में अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया के लिए नियम बना सकेगा ।

(3) यथास्थिति, जिला परिषद् या प्रादेशिक परिषद् के लेखे ऐसे प्ररूप में रखे जाएंगे जो भारत का नियंत्रक-महालेखापरीक्षक राष्ट्रपति के अनुमोदन से, विहित करे ।

(4) नियंत्रक-महालेखापरीक्षक जिला परिषदों और प्रादेशिक परिषदों के लेखाओं की संपरीक्षा ऐसी रीति से कराएगा जो वह ठीक समझे और नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के ऐसे लेखाओं से संबंधित प्रतिवेदन राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किए जाएंगे जो उन्हें परिषद् के समक्ष रखवाएगा ।]

8. भू-राजस्व का निर्धारण और संग्रहण करने तथा कर का अधिरोपण करने की शक्तियां--(1) स्वशासी प्रदेश के भीतर की सभी भूमियों के संबंध में ऐसे प्रदेश की प्रादेशिक परिषद् को और यदि जिले में कोई प्रादेशिक परिषद् हैं तो उनके प्राधिकार के अधीन आने वाले क्षेत्रों में स्थित भूमियों को छोड़कर जिले के भीतर की सभी भूमियों के संबंध में स्वशासी जिले की जिला परिषद् को ऐसी भूमियों की बाबत, उन सिद्धांतों के अनुसार राजस्व का निर्धारण और संग्रहण करने की शक्ति जिनका [6][साधारणतया राज्य में भू-राजस्व के प्रयोजन के लिए भूमि के निर्धारण में राज्य की सरकार द्वारा तत्समय अनुसरण किया जाता है]।

---

[1] आसाम पुनर्गठन (मेघालय) अधिनियम, 1969 (1969 का 55) की धारा 74 और चौथी अनुसूची द्वारा (2-4-1970 से) अंतःस्थापित ।

[2] आसाम पुनर्गठन (मेघालय) अधिनियम, 1969 (1969 का 55) की धारा 74 और चौथी अनुसूची द्वारा (2-4-1970 से) पैरा 6 के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[3] निरसन और संशोधन अधिनियम, 1974 (1974 का 56) की धारा 4 द्वारा "कांजी हाउस" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[4] पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 (1971 का 81) की धारा 71(i) और आठवीं अनुसूची द्वारा (21-1-1972 से) "यथास्थिति, आसाम या मेघालय" शब्दों का लोप किया गया ।

[5] आसाम पुनर्गठन (मेघालय) अधिनियम, 1969 (1969 का 55) की धारा 74 और चौथी अनुसूची द्वारा (2-4-1970 से) उपपैरा (2) के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[6] पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 (1971 का 81) की धारा 71(i) और आठवीं अनुसूची द्वारा (21-1-1972 से) कुछ शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

(2) The Governor may withdraw or modify any of the powers conferred on a District Council, Regional Council, court or officer under sub-paragraph (1) of this paragraph.

(3) Save as expressly provided in this paragraph, the Code of Civil Procedure, 1908, and the Code of Criminal Procedure, 1898[1], shall not apply to the trial of any suits, cases or offences in an autonomous district or in any autonomous region to which the provisions of this paragraph apply.

[1][(4) On and from the date appointed by the President under sub-paragraph (5) of paragraph 4 in relation to any autonomous district or autonomous region, nothing contained in this paragraph shall, in its application to that district or region, be deemed to authorise the Governor to confer on the District Council or Regional Council or on courts constituted by the District Council any of the powers referred to in sub-paragraph (1) of this paragraph.]

[2][6. Powers of the District Council to establish primary schools, etc.— (1) The District Council for an autonomous district may establish, construct, or manage primary schools, dispensaries, markets, [3][cattle pounds], ferries, fisheries, roads, road transport and waterways in the district and may, with the previous approval of the Governor, make regulations for the regulation and control thereof and, in particular, may prescribe the language and the manner in which primary education shall be imparted in the primary schools in the district.

(2) The Governor may, with the consent of any District Council, entrust either conditionally or unconditionally to that Council or to its officers functions in relation to agriculture, animal husbandry, community projects, co-operative societies, social welfare, village planning or any other matter to which the executive power of the State [4]*** extends.]

7. District and Regional Funds.—(1) There shall be constituted for each autonomous district, a District Fund and for each autonomous region, a Regional Fund to which shall be credited all moneys received respectively by the District Council for that district and the Regional Council for that region in the course of the administration of such district or region, as the case may be, in accordance with the provisions of this Constitution.

[5][(2) The Governor may make rules for the management of the District Fund, or, as the case may be, the Regional Fund and for the procedure to be followed in respect of payment of money into the said Fund, the withdrawal of moneys therefrom, the custody of moneys therein and any other matter connected with or ancillary to the matters aforesaid.

(3) The accounts of the District Council or, as the case may be, the Regional Council shall be kept in such form as the Comptroller and Auditor-General of India may, with the approval of the President, prescribe.

(4) The Comptroller and Auditor-General shall cause the accounts of the District and Regional Councils to be audited in such manner as he may think fit, and the reports of the Comptroller and Auditor-General relating to such accounts shall be submitted to the Governor who shall cause them to be laid before the Council.]

8. Powers to assess and collect land revenue and to impose taxes.—(1) The Regional Council for an autonomous region in respect of all lands within such region and the District Council for an autonomous district in respect of all lands within the district except those which are in the areas under the authority of Regional Councils, if any, within the district, shall have the power to assess and collect revenue in respect of such lands in accordance with the principles for the time being followed [6][by the Government of the State in assessing lands for the purpose of land revenue in the State generally].

---

[1] Ins. by the Assam Reorganisation (Meghalaya) Act, 1969 (55 of 1969), s. 74 and Fourth Sch. (w.e.f. 2-4-1970).
[2] Subs. by s. 74 and Fourth Sch., ibid., for paragraph 6 (w.e.f. 2-4-1970).
[3] Subs. by Repealing and Amending Act, 1974 (56 of 1974), s. 4, for "cattle ponds" .
[4] The words "of Assam or Meghalaya, as the case may be" omitted by the North -Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971 (81 of 1971), s. 71 (i) and Eighth Sch., (w.e.f. 21-1-1972).
[5] Subs. by the Assam Reorganisation (Meghalaya) Act, 1969 (55 of 1969), s. 74 and Fourth Sch., for sub-paragraph 2 (w.e.f. 2-4-1970).
[6] Subs. by the North Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971 (81 of 1971), s. 71 (i) and Eighth Sch., for certain words (w.e.f. 21-1-1972).

(2) स्वशासी प्रदेश के भीतर के क्षेत्रों के संबंध में ऐसे प्रदेश की प्रादेशिक परिषद् को और यदि जिले में कोई प्रादेशिक परिषद् हैं तो उनके प्राधिकार के अधीन आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर जिले के भीतर के सभी क्षेत्रों के संबंध में स्वशासी जिले की जिला परिषद् को, भूमि और भवनों पर करों का तथा ऐसे क्षेत्रों में निवासी व्यक्तियों पर पथकर का उद्ग्रहण और संग्रहण करने की शक्ति होगी ।

(3) स्वशासी जिले की जिला परिषद् को ऐसे जिले के भीतर निम्नलिखित सभी या किन्हीं करों का उद्ग्रहण और संग्रहण करने की शक्ति होगी, अर्थात् :--

(क) वृत्ति, व्यापार, आजीविका और नियोजन पर कर ;

(ख) जीवजंतुओं, यानों और नौकाओं पर कर ;

(ग) किसी बाजार में विक्रय के लिए माल के प्रवेश पर कर और फेरी से ले जाए जाने वाले यात्रियों और माल पर पथकर ; और

(घ) विद्यालयों, औषधालयों या सड़कों को बनाए रखने के लिए कर ।

(4) इस पैरा के उपपैरा (2) और उपपैरा (3) में विनिर्दिष्ट करों में से किसी कर के उद्ग्रहण और संग्रहण का उपबंध करने के लिए, यथास्थिति, प्रादेशिक परिषद् या जिला परिषद् विनियम बना सकेगी और [1][ऐसा प्रत्येक विनियम राज्यपाल के समक्ष तुरंत प्रस्तुत किया जाएगा और जब तक वह उस पर अनुमति नहीं दे देता है तब तक उसका कोई प्रभाव नहीं होगा]।

[2]**9. खनिजों के पूर्वेक्षण या निष्कर्षण के प्रयोजन के लिए अनुज्ञप्तियां या पट्टे**--(1) किसी स्वशासी जिले के भीतर के किसी क्षेत्र के संबंध में [3][राज्य की सरकार] द्वारा खनिजों के पूर्वेक्षण या निष्कर्षण के प्रयोजन के लिए दी गई अनुज्ञप्तियों या पट्टों से प्रत्येक वर्ष प्रोद्भूत होने वाले स्वामिस्व का ऐसा अंश, जिला परिषद् को दिया जाएगा जो उस [4][राज्य की सरकार] और ऐसे जिले की जिला परिषद् के बीच करार पाया जाए ।

(2) यदि जिला परिषद् को दिए जाने वाले ऐसे स्वामिस्व के अंश के बारे में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो वह राज्यपाल को अवधारण के लिए निर्देशित किया जाएगा और राज्यपाल द्वारा अपने विवेक के अनुसार अवधारित रकम इस पैरा के उपपैरा (1) के अधीन जिला परिषद् को संदेय रकम समझी जाएगी और राज्यपाल का विनिश्चय अंतिम होगा ।

[4,5]**10. जनजातियों से भिन्न व्यक्तियों की साहूकारी और व्यापार के नियंत्रण के लिए विनियम बनाने की जिला परिषद् की शक्ति**--(1) स्वशासी जिले की जिला परिषद् उस जिले में निवासी जनजातियों से भिन्न व्यक्तियों की उस जिले के भीतर साहूकारी या व्यापार के विनियमन और नियंत्रण के लिए विनियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे विनियम--

---

[1] आसाम पुनर्गठन (मेघालय) अधिनियम, 1969 (1969 का 55) की धारा 74 और चौथी अनुसूची द्वारा (2-4-1970 से) अंतःस्थापित ।

[2] संविधान (छठी अनुसूची) संशोधन अधिनियम, 1988 (1988 का 67) की धारा 2 द्वारा पैरा 9 त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों को लागू करने में निम्नलिखित रूप से संशोधित किया गया जिससे उपपैरा (2) के पश्चात् निम्नलिखित उपपैरा अंतःस्थापित किया जा सके, अर्थात् :--

"(3) राज्यपाल, आदेश द्वारा, यह निदेश दे सकेगा कि इस पैरा के अधीन जिला परिषद् को दिया जाने वाला स्वामिस्व का अंश उस परिषद् को, यथास्थिति, उपपैरा (1) के अधीन किसी करार या उपपैरा (2) के अधीन किसी अवधारण की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर कियाजाएगा ।"।

[3] पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 (1971 का 81) की धारा 71(i) और आठवीं अनुसूची द्वारा (21-1-1972 से) "असम सरकार" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[4] संविधान (छठी अनुसूची) संशोधन अधिनियम, 1988 (1988 का 67) की धारा 2 द्वारा पैरा 10 त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों को लागू करने में निम्नलिखित रूप से संशोधित किया गया :--

'(क) शीर्षक में से "जनजातियों से भिन्न व्यक्तियों की" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ख) उपपैरा (1) में से "जनजातियों से भिन्न" शब्दों का लोप किया जाएगा ;

(ग) उपपैरा (2) में, खंड (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(घ) विहित कर सकेंगे कि कोई व्यक्ति, जो जिले में निवासी है जिला परिषद् द्वारा इस निमित्त दी गई अनुज्ञप्ति के अधीन कोई थोक या फुटकर व्यापार करेगा अन्यथा नहीं :" '।

[5] संविधान छठी अनुसूची (संशोधन) अधिनियम, 2003 (2003 का 44) की धारा 2 द्वारा पैरा 10 असम राज्य को लागू करने में निम्नलिखित रूप से संशोधित किया गया जिससे उपपैरा (3) के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जा सके, अर्थात् :--

"(4) इस पैरा की कोई बात, इस अनुसूची के पैरा 2 के उपपैरा (3) के परंतुक के अधीन गठित बोडोलैंड प्रादेशिक परिषद् को लागू नही होगी ।" ।

(2) The Regional Council for an autonomous region in respect of areas within such region and the District Council for an autonomous district in respect of all areas in the district except those which are under the authority of Regional Councils, if any, within the district, shall have power to levy and collect taxes on lands and buildings, and tolls on persons resident within such areas.

(3) The District Council for an autonomous district shall have the power to levy and collect all or any of the following taxes within such district, that is to say —

(*a*) taxes on professions, trades, callings and employments;

(*b*) taxes on animals, vehicles and boats;

(*c*) taxes on the entry of goods into a market for sale therein, and tolls on passengers and goods carried in ferries; and

(*d*) taxes for the maintenance of schools, dispensaries or roads.

(4) A Regional Council or District Council, as the case may be, may make regulations to provide for the levy and collection of any of the taxes specified in sub-paragraphs (2) and (3) of this paragraph [1][and every such regulation shall be submitted forthwith to the Governor and, until assented to by him, shall have no effect].

[2]9. Licences or leases for the purpose of prospecting for, or extraction of, minerals.—(1) Such share of the royalties accruing each year from licences or leases for the purpose of prospecting for, or the extraction of, minerals granted by [3][the Government of the State] in respect of any area within an autonomous district as may be agreed upon between [4][the Government of the State] and the District Council of such district shall be made over to that District Council.

(2) If any dispute arises as to the share of such royalties to be made over to a District Council, it shall be referred to the Governor for determination and the amount determined by the Governor in his discretion shall be deemed to be the amount payable under sub-paragraph (1) of this paragraph to the District Council and the decision of the Governor shall be final.

[4-5]10. Power of District Council to make regulations for the control of money-lending and trading by non-tribals.—(1) The District Council of an autonomous district may make regulations for the regulation and control of money-lending or trading within the district by persons other than Scheduled Tribes resident in the district.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such regulations may—

---

[1] Ins. by the Assam Reorganisation (Meghalaya) Act, 1969 (55 of 1969), s. 74 and Fourth Sch. (w.e.f. 2-4-1970).

[2] Paragraph 9 has been amended in its application to the States of Tripura and Mizoram by the Sixth Schedule to the Constitution (Amendment) Act, 1988 (67 of 1988), s. 2, so as to insert the following sub-paragraph after sub-paragraph (2), namely :

"(3) The Governor may, by order, direct that the share of royalties to be made over to a District Council under this paragraph shall be made over to that Council within a period of one year from the date of any agreement under sub-paragraph (1) or, as the case may be, of any determination under sub-paragraph (2).".

[3] Subs. by the North -Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971 (81 of 1971), s. 71 (i) and Eighth Sch., for "the Government of Assam" (w.e.f. 21-1-1972).

[4] Paragraph 10 has been amended in its application to the States of Tripura and Mizoram by the Sixth Schedule to the Constitution (Amendment) Act, 1988 (67 of 1988), s.2, as under--

(a) in the heading, the words "by non-tribals" shall be omitted;

in sub-paragraph (1), the words "other than Scheduled Tribes" shall be omitted;

in sub-paragraph (2), for clause (d), the following clause shall be substituted, namely:--

(d) prescribe that no person resident in the district shall carry on any trade, whether wholesale or retail, except under a licence issued in that behalf by the District Council."

[5] Paragraph 10 has been amended in its application to the State of Assam by the Sixth Schedule to the Constitution (Amendment) Act, 2003 (44 of 2003), s. 2 , so as to insert the following sub-paragraph after sub-paragraph (3), namely:

"(4) Nothing in this paragraph shall apply to the Bodoland Territorial Council constituted under the proviso to sub-paragraph (3) of paragraph 2 of this Schedule." .

(क) विहित कर सकेंगे कि उस निमित्त दी गई अनुज्ञप्ति के धारक के अतिरिक्त और कोई साहूकारी का कारोबार नहीं करेगा ;

(ख) साहूकार द्वारा प्रभारित या वसूल किए जाने वाले ब्याज की अधिकतम दर विहित कर सकेंगे ;

(ग) साहूकारों द्वारा लेखे रखे जाने का और जिला परिषदों द्वारा इस निमित्त नियुक्त अधिकारियों द्वारा ऐसे लेखाओं के निरीक्षण का उपबंध कर सकेंगे ;

(घ) विहित कर सकेंगे कि कोई व्यक्ति, जो जिले में निवासी अनुसूचित जनजातियों का सदस्य नहीं है, जिला परिषद् द्वारा इस निमित्त दी गई अनुज्ञप्ति के अधीन ही किसी वस्तु का थोक या फुटकर कारबार करेगा, अन्यथा नहीं :

परंतु इस पैरा के अधीन ऐसे विनियम तब तक नहीं बनाए जा सकेंगे जब तक वे जिला परिषद् की कुल सदस्य संख्या के कम से कम तीन चौथाई बहुमत द्वारा पारित नहीं कर दिए जाते हैं :

परंतु यह और कि ऐसे किन्हीं विनियमों के अधीन किसी ऐसे साहूकार या व्यापारी को जो ऐसे विनियमों के बनाए जाने के पहले से उस जिले के भीतर कारबार करता रहा है, अनुज्ञप्ति देने से इंकार करना सक्षम नहीं होगा ।

(3) इस पैरा के अधीन बनाए गए सभी विनियम राज्यपाल के समक्ष तुरंत प्रस्तुत किए जाएंगे और जब तक वह उन पर अनुमति नहीं दे देता है तब तक उनका कोई प्रभाव नहीं होगा ।

11. अनुसूची के अधीन बनाई गई विधियों, नियमों और विनियमों का प्रकाशन--जिला परिषद् या प्रादेशिक परिषद् द्वारा इस अनुसूची के अधीन बनाई गई सभी विधियों, नियम और विनियम राज्य के राजपत्र में तुरंत प्रकाशित किए जाएंगे और ऐसे प्रकाशन पर विधि का बल रखेंगे ।

[1,2]**12.** [3]**[असम राज्य में स्वशासी जिलों और स्वशासी प्रदेशों को संसद् के और असम राज्य के विधान-मंडल के अधिनियमों का लागू होना]**--(1) इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी,--

(क) [4][असम राज्य के विधान-मंडल] का कोई अधिनियम, जो ऐसे विषयों में से किसी विषय के संबंध में है जिनको इस अनुसूची के पैरा 3 में ऐसे विषयों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है, जिनके संबंध में जिला परिषद् या प्रादेशिक परिषद् विधियां बना सकेगी और [4][असम राज्य के विधान-मंडल] का कोई अधिनियम, जो किसी अनासुत ऐल्कोहाली लिकर के उपभोग को प्रतिषिद्ध या निर्बंधित करता है, [5][उस राज्य में] किसी स्वशासी जिले या स्वशासी प्रदेश को तब तक लागू नहीं होगा जब तक दोनों दशाओं में से हर एक में ऐसे जिले की जिला परिषद् या ऐसे प्रदेश पर अधिकारिता रखने वाली जिला परिषद्, लोक अधिसूचना द्वारा, इस प्रकार निदेश नहीं दे देती है और जिला परिषद् किसी अधिनियम के संबंध में ऐसा निदेश देते समय यह निदेश दे सकेगी कि वह अधिनियम ऐसे जिले या प्रदेश या उसके किसी भाग को लागू होने में ऐसे अपवादों या उपांतरणों के अधीन रहते हुए प्रभावी होगा जो वह ठीक समझती है ;

---

[1] संविधान (छठी अनुसूची) संशोधन अधिनियम, 1995 (1995 का 42) की धारा 2 द्वारा पैरा 12 असम राज्य को लागू होने के लिए निम्नलिखित रूप से संशोधित किया गया, अर्थात् :--

'पैरा 12 के उपपैरा (1) में "इस अनुसूची के पैरा 3 में ऐसे विषयों" शब्दों और अंक के स्थान पर, "इस अनुसूची के पैरा 3 या पैरा 3क में ऐसे विषयों" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ।' ।

[2] संविधान छठी अनुसूची (संशोधन) अधिनियम, 2003 (2003 का 44) की धारा 2 द्वारा पैरा 12 असम राज्य को लागू करने में निम्नलिखित रूप से संशोधित किया गया, अर्थात् :--

'पैरा 12 के उपपैरा (1) के खंड (क) में, "इस अनुसूची के पैरा 3 या पैरा 3क में ऐसे विषयों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है" शब्दों, अंकों और अक्षर के स्थान पर, "इस अनुसूची के पैरा 3 या पैरा 3क या पैरा 3ख में ऐसे विषयों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है" शब्द, अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;'।

[3] पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 (1971 का 81) की धारा 71 और आठवीं अनुसूची द्वारा (21-1-1972 से) शीर्षक के स्थान पर प्रतिस्थापित।

[4] पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 (1971 का 81) की धारा 71 और आठवीं अनुसूची द्वारा (21-1-1972 से) "राज्य का विधान-मंडल" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[5] पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 (1971 का 81) की धारा 71 और आठवीं अनुसूची द्वारा (21-1-1972 से) अंतःस्थापित ।

(*a*) prescribe that no one except the holder of a licence issued in that behalf shall carry on the business of money-lending;

(*b*) prescribe the maximum rate of interest which may be charged or be recovered by a money-lender;

(*c*) provide for the maintenance of accounts by money-lenders and for the inspection of such accounts by officers appointed in that behalf by the District Council;

(*d*) prescribe that no person who is not a member of the Scheduled Tribes resident in the district shall carry on wholesale or retail business in any commodity except under a licence issued in that behalf by the District Council :

Provided that no regulations may be made under this paragraph unless they are passed by a majority of not less than three-fourths of the total membership of the District Council:

Provided further that it shall not be competent under any such regulations to refuse the grant of a licence to a money-lender or a trader who has been carrying on business within the district since before the time of the making of such regulations.

(3) All regulations made under this paragraph shall be submitted forthwith to the Governor and, until assented to by him, shall have no effect.

11. Publication of laws, rules and regulations made under the Schedule.—All laws, rules and regulations made under this Schedule by a District Council or a Regional Council shall be published forthwith in the Official Gazette of the State and shall on such publication have the force of law.

[1-2]**12.** [3]**[Application of Acts of Parliament and of the Legislature of the State of Assam to autonomous districts and autonomous regions in the State of Assam].** —(1) Notwithstanding anything in this Constitution —

(*a*) no Act of the [4][Legislature of the State of Assam] in respect of any of the matters specified in paragraph 3 of this Schedule as matters with respect to which a District Council or a Regional Council may make laws, and no Act of the [4][Legislature of the State of Assam] prohibiting or restricting the consumption of any non-distilled alcoholic liquor shall apply to any autonomous district or autonomous region [5][in that State] unless in either case the District Council for such district or having jurisdiction over such region by public notification so directs, and the District Council in giving such direction with respect to any Act may direct that the Act shall in its application to such district or region or any part thereof have effect subject to such exceptions or modifications as it thinks fit;

---

[1] Paragraph 12 has been amended to its application to the State of Assam by the Sixth Schedule to the Constitution (Amendment) Act, 1995 (42 of 1995), s.2, as under,-

'in paragraph 12, in sub-paragraph (1), for the words and figure "matters specified in paragraph 3 of this Schedule", the words, figures and letter "matters specified in paragraph 3 or paragraph 3A of this Schedule" shall be substituted.'.

[2] Paragraph 12 has been amended in its application to the State of Assam by the Sixth Schedule to the Constitution (Amendment) Act, 2003 (44 of 2003), s. 2, as under,—

'in paragraph 12, in sub-paragraph (1), in clause (a), for the words, figures and letter "matters specified in paragraph 3 or paragraph 3A of this Schedule", the words, figures and letter "matters specified in paragraph 3 or paragraph 3A or paragraph 3B of this Schedule" shall be substituted.'.

[3] Subs. by the North Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971 (81 of 1971), s. 71 (i) and Eighth Sch., for the marginal heading (w.e.f. 21-1-1972).

[4] Subs. by s. 71 (i) and Eighth Sch., *ibid.*, for "Legislature of the State" (w.e.f. 21-1-1972).

[5] Ins. by s. 71 (i) and Eighth Sch., *ibid.*, (w.e.f. 21-1-1972).

(ख) राज्यपाल, लोक अधिसूचना द्वारा, निदेश दे सकेगा कि संसद् का या [1][असम राज्य के विधान-मंडल] का कोई अधिनियम, जिसे इस उपपैरा के खंड (क) के उपबंध लागू नहीं होते हैं [2][उस राज्य में] किसी स्वशासी जिले या स्वशासी प्रदेश को लागू नहीं होगा अथवा ऐसे जिले या प्रदेश या उसके किसी भाग को ऐसे अपवादों या उपांतरणों के अधीन रहते हुए लागू होगा जो वह उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे ।

(2) इस पैरा के उपपैरा (1) के अधीन दिया गया कोई निदेश इस प्रकार दिया जा सकेगा कि उसका भूतलक्षी प्रभाव हो ।

[3]**12क. मेघालय राज्य में स्वशासी जिलों और स्वशासी प्रदेशों को संसद् के और मेघालय राज्य के विधान-मंडल के अधिनियमों का लागू होना--**इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी--

(क) यदि इस अनुसूची के पैरा 3 के उपपैरा (1) में विनिर्दिष्ट विषयों में से किसी विषय के संबंध में मेघालय राज्य में किसी जिला परिषद् या प्रादेशिक परिषद् द्वारा बनाई गई किसी विधि का कोई उपबंध या यदि इस अनूसूची के पैरा 8 या पैरा 10 के अधीन उस राज्य में किसी जिला परिषद् या प्रादेशिक परिषद् द्वारा बनाए गए किसी विनियम का कोई उपबंध, मेघालय राज्य के विधान-मंडल द्वारा उस विषय के संबंध में बनाई गई किसी विधि के किसी उपबंध के विरुद्ध है तो, यथास्थिति, उस जिला परिषद् या प्रादेशिक परिषद् द्वारा बनाई गई विधि या बनाया गया विनियम, चाहे वे मेघालय राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई विधि से पहले बनाया गया हो या उसके पश्चात्, उस विरोध की मात्रा तक शून्य होगा और मेघालय राज्य के विधान-मंडल द्वारा बनाई गई विधि अभिभावी होगी ;

(ख) राष्ट्रपति, संसद के किसी अधिनियम के संबंध में, अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकेगा कि वह मेघालय राज्य में किसी स्वशासी जिले या स्वशासी प्रदेश को लागू नहीं होगा अथवा ऐसे जिले या प्रदेश या उसके किसी भाग को ऐसे अपवादों या उपांतरणों के अधीन रहते हुए लागू होगा जो वह अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे और ऐसा कोई निदेश इस प्रकार दिया जा सकेगा कि उसका भूतलक्षी प्रभाव हो ।]

[4]**[12कक, त्रिपुरा राज्य में स्वशासी जिलों और स्वशासी प्रदेशों को संसद् के और त्रिपुरा राज्य के विधान-मंडल के अधिनियमों का लागू होना**--इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी,--

(क) त्रिपुरा राज्य के विधान-मंडल को कोई अधिनियम, जो ऐसे विषयों में से किसी विषय के संबंध में है जिनको इस अनुसूची के पैरा 3 में ऐसे विषयों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है जिनके संबंध में जिला परिषद् या प्रादेशिक परिषद् विधियां बना सकेगी, और त्रिपुरा राज्य के विधान-मंडल का कोई अधिनियम जो किसी अनासुत ऐल्कोहाली लिकर के उपभोग को प्रतिषिद्ध या निर्बंधित करता है, उस राज्य में किसी स्वशासी जिले या स्वशासी प्रदेश को तब तक लागू नहीं होगा जब तक, दोनों दशाओं में से हर एक में, उस जिले की जिला परिषद् या ऐसे प्रदेश पर अधिकारिता रखने वाली जिला परिषद् लोक अधिसूचना द्वारा, इस प्रकार निदेश नहीं दे देती है और जिला परिषद् किसी अधिनियम के संबंध में ऐसा निदेश देते समय यह निदेश दे सकेगी कि वह अधिनियम उस जिले या प्रदेश या उसके किसी भाग को लागू होने में ऐसे अपवादों या उपांतरणों के अधीन रहते हुए प्रभावी होगा जो वह ठीक समझती है ;

---

[1] पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 (1971 का 81) की धारा 71 और आठवीं अनुसूची द्वारा (21-1-1972 से) "राज्य का विधान-मंडल" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 (1971 का 81) की धारा 71 और आठवीं अनुसूची द्वारा (21-1-1972 से) अंतःस्थापित ।

[3] पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 (1971 का 81) की धारा 71 और आठवीं अनुसूची द्वारा (21-1-1972 से) पैरा 12क के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[4] संविधान छठी अनुसूची (संशोधन) अधिनियम, 1988 (1988 का 76) की धारा 2 द्वारा पैरा 12कक और 12ख के स्थान पर प्रतिस्थापित । पैरा 12कक संविधान(उनचासवां संशोधन्) अधिनियम, 1984 की धारा 4 द्वारा (1-4-1985 से) अंतःस्थापित किया गया था।

(*b*) the Governor may, by public notification, direct that any Act of Parliament or of the [1][Legislature of the State of Assam] to which the provisions of clause (*a*) of this sub-paragraph do not apply shall not apply to an autonomous district or an autonomous region [2][in that State], or shall apply to such district or region or any part thereof subject to such exceptions or modifications as he may specify in the notification.

(2) Any direction given under sub-paragraph (1) of this paragraph may be given so as to have retrospective effect**.**

[3][12A. Application of Acts of Parliament and of the Legislature of the State of Meghalaya to autonomous districts and autonomous regions in the State of Meghalaya.—Notwithstanding anything in this Constitution,—

(*a*) if any provision of a law made by a District or Regional Council in the State of Meghalaya with respect to any matter specified in sub-paragraph (1) of paragraph 3 of this Schedule or if any provision of any regulation made by a District Council or a Regional Council in that State under paragraph 8 or paragraph 10 of this Schedule, is repugnant to any provision of a law made by the Legislature of the State of Meghalaya with respect to that matter, then, the law or regulation made by the District Council or, as the case may be, the Regional Council whether made before or after the law made by the Legislature of the State of Meghalaya, shall, to the extent of repugnancy, be void and the law made by the Legislature of the State of Meghalaya shall prevail;

(*b*) the President may, with respect to any Act of Parliament, by notification, direct that it shall not apply to an autonomous district or an autonomous region in the State of Meghalaya, or shall apply to such district or region or any part thereof subject to such exceptions or modifications as he may specify in the notification and any such direction may be given so as to have retrospective effect.]

[4][12AA. Application of Acts of Parliament and of the Legislature of the State of Tripura to the autonomous districts and autonomous regions in the State of Tripura.— Notwithstanding anything in this Constitution,—

(a) no Act of the [5][Legislature of the State of Assam] in respect of any of the matters specified in paragraph 3 of this Schedule as matters with respect to which a District Council or a Regional Council may make laws, and no Act of the [4][Legislature of the State of Assam] prohibiting or restricting the consumption of any non-distilled alcoholic liquor shall apply to any autonomous district or autonomous region [6][in that State] unless in either case the District Council for such district or having jurisdiction over such region by public notification so directs, and the District Council in giving such direction with respect to any Act may direct that the Act shall in its application to such district or region or any part thereof have effect subject to such exceptions or modifications as it thinks fit;

---

1 Subs. by the North -Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971 (81 of 1971), s. 71 (i) and Eighth Sch., for “Legislature of the State” (w.e.f. 21-1-1972).
2 Ins. by the North -Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971 (81 of 1971), s. 71 (i) and Eighth Sch. (w.e.f. 21-1-1972).
3 Subs. by s. 71 (i) and Eighth Sch., *ibid*., for paragraph 12A (w.e.f. 21-1-1972).
4 Subs. by the Sixth Schedule to the Constitution (Amendment) Act, 1988 (67 of 1988), s. 2, for paragraphs 12AA and 12B. Paragraph 12AA was ins. by the Constitution (Forty-ninth Amendment) Act, 1984, s. 4 (w.e.f. 1-4-1985).
5 Subs. by s. 71 (i) and Eighth Sch., *ibid.*, for “Legislature of the State” (w.e.f. 21-1-1972).
6 Ins. by s. 71 (i) and Eighth Sch., *ibid.*, (w.e.f. 21-1-1972).

(ख) राज्यपाल, लोक अधिसूचना द्वारा, निदेश दे सकेगा कि त्रिपुरा राज्य के विधान-मंडल को कोई अधिनियम, जिसे इस उपपैरा के खंड (क) के उपबंध लागू नहीं होते हैं, उस राज्य में किसी स्वशासी जिले या स्वशासी प्रदेश को लागू नहीं होगा अथवा ऐसे जिले या प्रदेश या उसके किसी भाग को ऐसे अपवादों या उपांतरणों के अधीन रहते हुए लागू होगा जो वह उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे ;

(ग) राष्ट्रपति, संसद के किसी अधिनियम के संबंध में, अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकेगा कि वह त्रिपुरा राज्य में किसी स्वशासी जिले या स्वशासी प्रदेश को लागू नहीं होगा अथवा ऐसे जिले या प्रदेश या उसके किसी भाग को ऐसे अपवादों या उपांतरणों के अधीन रहते हुए लागू होना जो वह अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे और ऐसा कोई निदेश इस प्रकार दिया जा सकेगा कि उसका भूतलक्षी प्रभाव हो ।

12ख. मिजोराम राज्य में स्वशासी जिलों और स्वशासी प्रदेशों को संसद् के और मिजोरम राज्य के विधान-मंडल के अधिनियमों को लागू होना--इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी,--

(क) मिजोरम राज्य के विधान-मंडल का कोई अधिनियम जो ऐसे विषयों में से किसी विषय के संबंध में है जिनको इस अनुसूची के पैरा 3 में ऐसे विषयों के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है जिनके संबंध में जिला परिषद् या प्रादेशिक परिषद् विधियां बना सकेगा, और मिजोरम राज्य के विधान-मंडल का कोई अधिनियम, जो किसी अनासुत ऐल्कोहाली लिकर के उपभोग को प्रतिषिद्ध या निर्बंधित करता है, उस राज्य में किसी स्वशासी जिले या स्वशासी प्रदेश को तब तक लागू नहीं होगा, जब तक, दोनों दशाओं में से हर एक में, उस जिले की जिला परिषद् या ऐसे प्रदेश पर अधिकारिता रखने वाली जिला परिषद्, लोक अधिसूचना द्वारा, इस प्रकार निदेश नहीं दे देती है और जिला परिषद् किसी अधिनियम के संबंध में ऐसा निदेश देते समय यह निदेश दे सकेगी कि वह अधिनियम उस जिले या प्रदेश या उसके किसी भाग को लागू होने में ऐसे अपवादों या उपांतरणों के अधीन रहते हुए प्रभावी होगा जो वह ठीक समझती है ;

(ख) राज्यपाल, लोक अधिसूचना द्वारा, निदेश दे सकेगा कि मिजोरम राज्य के विधान-मंडल का कोई अधिनियम, जिसे इस उपपैरा के खंड (क) के उपबंध लागू नहीं होते हैं, उस राज्य में किसी स्वशासी जिले या स्वशासी प्रदेश को लागू नहीं होगा अथवा ऐसे जिले या प्रदेश या उसके किसी भाग को ऐसे अपवादों या उपांतरणों के अधीन रहते हुए लागू होगा जो वह उस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे ;

(ग) राष्ट्रपति, संसद् के किसी अधिनियम के संबंध में, अधिसूचना द्वारा निदेश दे सकेगा कि वह मिजोरम राज्य में किसी स्वशासी जिले या स्वशासी प्रदेश को लागू नहीं होगा अथवा ऐसे जिले या प्रदेश या उसके किसी भाग को ऐसे अपवादों या उपांतरणों के अधीन रहते हुए लागू होगा जो वह अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे और ऐसा कोई निदेश इस प्रकार दिया जा सकेगा कि उसका भूतलक्षी प्रभाव हो ।]

13. स्वशासी जिलों से संबंधित प्राक्कलित प्राप्तियों और व्यय का वार्षिक वित्तीय विवरण में पृथक् रूप से दिखाया जाना--किसी स्वशासी जिले से संबंधित प्राक्कलित प्राप्तियां और व्यय, जो [1]*** राज्य की संचित निधि में जमा होनी हैं या उसमें से किए जाने हैं, पहले जिला परिषद् के समक्ष विचार-विमर्श के लिए रखे जाएंगे और फिर ऐसे विचार-विमर्श के पश्चात् अनुच्छेद 202 के अधीन राज्य के विधान-मंडल के समक्ष रखे जाने वाले वार्षिक वित्तीय विवरण में पृथक् रूप से दिखाए जाएंगे ।

[2]**14. स्वशासी जिलों और स्वाशासी प्रदेशों के प्रशासन की जांच करने और उस पर प्रतिवेदन देने के लिए आयोग की नियुक्ति**--(1) राज्यपाल, राज्य में स्वशासी जिलों और स्वशासी प्रदेशों के प्रशासन के संबंध में अपने द्वारा विनिर्दिष्ट किसी विषय की, जिसके अंतर्गत इस अनुसूची के पैरा 1 के उपपैरा (3) के खंड (ग), खंड (घ), खंड (ङ) और खंड (च) में विनिर्दिष्ट विषय हैं, जांच करने और उस पर प्रतिवेदन देने के लिए किसी भी समय आयोग नियुक्त कर सकेगा, या राज्य में स्वशासी जिलों और स्वशासी प्रदेशों के साधारणतया प्रशासन की और विशिष्टतया---

---

[1] पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 (1971 का 81) की धारा 71 और आठवीं अनुसूची द्वारा (21-1-1972 से) "असम" शब्द का लोप किया गया ।

[2] संविधान छठी अनुसूची (संशोधन) अधिनियम, 1995 (1995 का 42) की धारा 2 द्वारा पैरा 14 "असम" राज्य में लागू होने के लिए निम्नलिखित रूप से संशोधित किया गया, अर्थात्:-

'पैरा 14 के उपपैरा (2) में, " राज्यपाल की उससे संबंधित सिफारिशों के साथ" शब्दों का लोप किया जाएगा ।' ।

(*b*) the Governor may, by public notification, direct that any Act of the Legislature of the State of Tripura to which the provisions of clause (a) of this sub-paragraph do not apply, shall not apply to the autonomous district or any autonomous region in that State, or shall apply to that district or such region, or any part thereof, subject to such exceptions or modifications, as he may specify in the notification;

(*c*) the President may, with respect to any Act of Parliament, by notification, direct that it shall not apply to the autonomous district or an autonomous region in the State of Tripura, or shall apply to such district or region or any part thereof, subject to such exceptions or modifications as he may specify in the notification and any such direction may be given so as to have retrospective effect.

12B. Application of Acts of Parliament and of the Legislature of the State of Mizoram to autonomous districts and autonomous regions in the State of Mizoram.— Notwithstanding anything in this Constitution, —

(*a*) no Act of the Legislature of the State of Mizoram in respect of any of the matters specified in paragraph 3 of this Schedule as matters with respect to which a District Council or a Regional Council may make laws, and no Act of the Legislature of the State of Mizoram prohibiting or restricting the consumption of any non-distilled alcoholic liquor shall apply to any autonomous district or autonomous region in that State unless, in either case, the District Council for such district or having jurisdiction over such region, by public notification, so directs, and the District Council, in giving such direction with respect to any Act, may direct that the Act shall, in its application to such district or region or any part thereof, have effect subject to such exceptions or modifications as it thinks fit;

(*b*) the Governor may, by public notification, direct that any Act of the Legislature of the State of Mizoram to which the provisions of clause (*a*) of this sub-paragraph do not apply, shall not apply to an autonomous district or an autonomous region in that State, or shall apply to such district or region, or any part thereof, subject to such exceptions or modifications, as he may specify in the notification;

(*c*) the President may, with respect to any Act of Parliament, by notification, direct that it shall not apply to an autonomous district or an autonomous region in the State of Mizoram, or shall apply to such district or region or any part thereof, subject to such exceptions or modifications as he may specify in the notification and any such direction may be given so as to have retrospective effect.]

13. Estimated receipts and expenditure pertaining to autonomous districts to be shown separately in the annual financial statement.—The estimated receipts and expenditure pertaining to an autonomous district which are to be credited to, or is to be made from, the Consolidated Fund of the State [1]*** shall be first placed before the District Council for discussion and then after such discussion be shown separately in the annual financial statement of the State to be laid before the Legislature of the State under article 202.

[2]**14. Appointment of Commission to inquire into and report on the administration of autonomous districts and autonomous regions.—**(1) The Governor may at any time appoint a Commission to examine and report on any matter specified by him relating to the administration of the autonomous districts and autonomous regions in the State, including matters specified in clauses (*c*), (*d*), (*e*) and (*f*) of sub-paragraph (3) of paragraph 1 of this Schedule, or may appoint a Commission to inquire into and report from time to time on the administration of autonomous districts and autonomous regions in the State generally and in particular on—

[1] The words "of Assam" omitted by the North- Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971 (81 of 1971), s. 71 (i) and Eighth Sch. (w.e.f. 21-1-1972).

[2] Paragraph 14 has been amended in its application to the State of Assam by the Sixth Schedule to the Constitution (Amendment) Act, 1995 (42 of 1995) , s. 2, as under,--

'in paragraph 14, in sub-paragraph (2), the words "with the recommendations of the Governor with respect thereto" shall be omitted.'.

(क) ऐसे जिलों और प्रदेशों में शिक्षा और चिकित्सा की सुविधाओं की और संचार की व्यवस्था की,

(ख) ऐसे जिलों और प्रदेशों के संबंध में किसी नए या विशेष विधान की आवश्यकता की, और

(ग) जिला परिषदों और प्रादेशिक परिषदों द्वारा बनाई गई विधियों, नियमों और विनियमों के प्रशासन की,

समय-समय पर जांच करने और उस पर प्रतिवेदन देने के लिए आयोग नियुक्त कर सकेगा और ऐसे आयोग द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया परिनिश्चित कर सकेगा ।

(2) संबंधित मंत्री, प्रत्येक ऐसे आयोग के प्रतिवेदन को, राज्यपाल की उससे संबंधित सिफारिशों के साथ, उस पर [1][राज्य की सरकार] द्वारा की जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई के संबंध में स्पष्टीकारक ज्ञापन सहित, राज्य के विधान-मंडल के समक्ष रखेगा ।

(3) राज्यपाल राज्य की सरकार के कार्य का अपने मंत्रियों में आबंटन करते समय अपने मंत्रियों में से एक मंत्री को राज्य के स्वशासी जिलों और स्वशासी प्रदेशों के कल्याण का विशेषतया भारसाधक बना सकेगा ।

[2]**15. जिला परिषदों और प्रादेशिक परिषदों के कार्यों और संकल्पों का निष्प्रभाव या निलंबित किया जाना**---(1) यदि राज्यपाल का किसी समय यह समाधान हो जाता है कि जिला परिषद् या प्रादेशिक परिषद् के किसी कार्य या संकल्प से भारत की सुरक्षा का संकटापन्न होना संभाव्य है [3][या लोक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना संभाव्य है] तो वह ऐसे कार्य या संकल्प को निष्प्रभाव या निलंबित कर सकेगा और ऐसी कार्रवाई (जिसके अंतर्गत परिषद् का निलंबन और परिषद् में निहित या उसके द्वारा प्रयोक्तव्य सभी या किन्हीं शक्तियों को अपने हाथ में ले लेना है) कर सकेगा जो वह ऐसे कार्य को किए जाने या उसके चालू रखे जाने का अथवा ऐसे संकल्प को प्रभावी किए जाने का निवारण करने के लिए आवश्यक समझे ।

(2) राज्यपाल द्वारा इस पैरा के उपपैरा (1) के अधीन किया गया आदेश, उसके लिए जो कारण है उनके सहित,राज्य के विधान-मंडल के समक्ष यथासंभवशीघ्र रखा जाएगा और यदि वह आदेश, राज्य के विधान-मंडल द्वारा प्रतिसंहृत नहीं कर दिया जाता है तो वह उस तारीख से, जिसको वह इस प्रकार किया गया था, बारह मास की अवधि तक प्रवृत्त बना रहेगा :

परन्तु यदि और जितनी बार, ऐसे आदेश को प्रवृत्त बनाए रखने का अनुमोदन करने वाला संकल्प राज्य के विधान-मंडल द्वारा पारित कर दिया जाता है तो और उतनी बार वह आदेश, यदि राज्यपाल द्वारा रद्द नहीं कर दिया जाता है तो, उस तारीख से, जिसको वह इस पैरा के अधीन अन्यथा प्रवर्तन में नहीं रहता, बारह मास की और अवधि तक प्रवृत्त बना रहेगा ।

[4]**16. जिला परिषद् या प्रादेशिक परिषद् का विघटन**---[5][(1)] राज्यपाल, इस अनुसूची के पैरा 14 के अधीन नियुक्त आयोग की सिफारिश पर, लोक अधिसूचना द्वारा, किसी जिला परिषद् या प्रादेशिक परिषद् का विघटन कर सकेगा, और--

---

[1] पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 (1971 का 81) की धारा 71 और आठवीं अनुसूची द्वारा (21-1-1972 से) "असम सरकार " के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] संविधान छठी अनुसूची (संशोधन) अधिनियम, 1988 (1988 का 67) की धारा 2 द्वारा पैरा 15 त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों को लागू करने में निम्नलिखित रूप से संशोधित किया गया है :---

'(क) आरंभिक भाग में, "राज्य के विधान-मंडल द्वारा" शब्दों के स्थान पर " राज्यपाल द्वारा" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) परन्तुक का लोप किया जाएगा ।' ।

[3] आसाम पुनर्गठन (मेघालय) अधिनियम, 1969 (1969 का 55) की धारा 74 और चौथी अनुसूची द्वारा (2-4-1970 से) अंतःस्थापित ।

[4] संविधान छठी अनुसूची (संशोधन) अधिनियम, 1988 (1988 का 67) की धारा 2 द्वारा पैरा 16 त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों को लागू करने में निम्नलिखित रूप से संशोधित किया गया है :---

'(क) उपपैरा (1) के खंड (ख) में आने वाले " राज्य के विधान-मंडल के पूर्व अनुमोदन से" शब्दों और दूसरे परन्तुक का लोप किया जाएगा;

(ख) उपपैरा (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपपैरा रखा जाएगा, अर्थात् :---

"(3) इस पैरा के उपपैरा (1) या उपपैरा (2) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके लिए जो कारण है उनके सहित, राज्य के विधान-मंडल के समक्ष रखा जाएगा ।"'।

[5] आसाम पुनर्गठन (मेघालय) अधिनियम, 1969 (1969 का 55) की धारा 74 और चौथी अनुसूची द्वारा (2-4-1970 से) पैरा 16 को उपपैरा (1) के रूप में पुनर्संख्यांकित किया गया ।

(*a*) the provision of educational and medical facilities and communications in such districts and regions;

(*b*) the need for any new or special legislation in respect of such districts and regions; and

(*c*) the administration of the laws, rules and regulations made by the District and Regional Councils;

and define the procedure to be followed by such Commission.

(2) The report of every such Commission with the recommendations of the Governor with respect thereto shall be laid before the Legislature of the State by the Minister concerned together with an explanatory memorandum regarding the action proposed to be taken thereon by [1][the Government of the State].

(3) In allocating the business of the Government of the State among his Ministers the Governor may place one of his Ministers specially in charge of the welfare of the autonomous districts and autonomous regions in the State.

[2]15. Annulment or suspension of acts and resolutions of District and Regional Councils.—(1) If at any time the Governor is satisfied that an act or resolution of a District or a Regional Council is likely to endanger the safety of India [3][or is likely to be prejudicial to public order], he may annul or suspend such act or resolution and take such steps as he may consider necessary (including the suspension of the Council and the assumption to himself of all or any of the powers vested in or exercisable by the Council) to prevent the commission or continuance of such act, or the giving of effect to such resolution.

(2) Any order made by the Governor under sub-paragraph (1) of this paragraph together with the reasons therefor shall be laid before the Legislature of the State as soon as possible and the order shall, unless revoked by the Legislature of the State, continue in force for a period of twelve months from the date on which it was so made:

Provided that if and so often as a resolution approving the continuance in force of such order is passed by the Legislature of the State, the order shall unless cancelled by the Governor continue in force for a further period of twelve months from the date on which under this paragraph it would otherwise have ceased to operate.

[4]16. Dissolution of a District or a Regional Council.—[5][(1)] The Governor may on the recommendation of a Commission appointed under paragraph 14 of this Schedule by public notification order the dissolution of a District or a Regional Council, and—

---

[1] Subs. by the North-Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971 (81 of 1971), s. 71 (i) and Eighth Sch., for "the Government of Assam" (w.e.f. 21-1-1972).

[2] Paragraph 15 has been amended in its application to the States of Tripura and Mizoram by the Sixth Schedule to the Constitution (Amendment) Act, 1988 (67 of 1988), s. 2, as under,--

' (a) in the opening paragraph, for the words "by the Legislature of the State", the words "by him" shall be substituted;

(b) the proviso shall be omitted.'.

[3] Ins. by the Assam Reorganisation (Meghalaya) Act, 1969 (55 of 1969), s. 74 and Fourth Sch. (w.e.f. 2-4-1970).

[4] Paragraph 16 has been amended in its application to the States of Tripura and Mizoram by the Sixth Sechedule to the Constitution (Amendment) Act, 1988 (67 of 1988) s. 2, as under,--

' (a) in sub-paragraph (1), the words "subject to the previous approval of the Legislature of the State" occurring in clause (b), and the second proviso shall be omitted;

(b) for sub-paragraph (3), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:--

"(3) Every order made under sub-paragraph (1) or sub-paragraph (2) of this paragraph, along with the reasons therefor shall be laid before the Legislature of the State.".'.

[5] Paragraph 16 renumbered as sub-paragraph (1) thereof by the Assam Reorganisation (Meghalaya) Act, 1969 (55 of 1969), s. 74 and Fourth Sch. (w.e.f. 2-4-1970).

(क) निदेश दे सकेगा कि परिषद् के पुनर्गठन के लिए नया साधारण निर्वाचन तुरंत कराया जाए ; या

(ख) राज्य के विधान-मंडल के पूर्व अनुमोदन से ऐसी परिषद् के प्राधिकार के अधीन आने वाले क्षेत्र का प्रशासन बारह मास से अनधिक अवधि के लिए अपने हाथ में ले सकेगा अथवा ऐसे क्षेत्र का प्रशासन ऐसे आयोग को जिसे उक्त पैरा के अधीन नियुक्त किया गया है या अन्य ऐसे किसी निकाय को जिसे वह उपयुक्त समझता है, उक्त अवधि के लिए दे सकेगा :

परन्तु जब इस पैरा के खंड (क) के अधीन कोई आदेश किया गया है तब राज्यपाल प्रश्नगत क्षेत्र के प्रशासन के संबंध में, नया साधारण निर्वाचन होने पर परिषद् के पुनर्गठन के लंबित रहने तक, इस पैरा के खंड (ख) में निर्दिष्ट कार्रवाई कर सकेगा :

परन्तु यह और कि, यथास्थिति, जिला परिषद् या प्रादेशिक परिषद् को राज्य के विधान-मंडल के समक्ष अपने विचारों को रखने का अवसर दिए बिना उस पैरा के खंड (ख) के अधीन कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी ।

[1][(2) यदि राज्यपाल का किसी समय यह समाधान हो जाता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसमें स्वशासी जिले या स्वशासी प्रदेश का प्रशासन उस अनुसूची के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है तो वह, यथास्थिति, जिला परिषद् या प्रादेशिक परिषद् में निहित या उसके द्वारा प्रयोक्तव्य सभी या कोई कृत्य या शक्तियां, लोक अधिसूचना द्वारा, छह मास से अनधिक अवधि के लिए अपने हाथ में ले सकेगा और यह घोषणा कर सकेगा कि ऐसे कृत्य या शक्तियां उक्त अवधि के दौरान ऐसे व्यक्ति या प्राधिकारी द्वारा प्रयोक्तव्य होंगी जिसे वह इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे :

परन्तु राज्यपाल आरंभिक आदेश का प्रवर्तन, अतिरिक्त आदेश या आदेशों द्वारा, एक बार में छह मास से अनधिक अवधि के लिए बढ़ा सकेगा ।

(3) इस पैरा के उपपैरा (2) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, उसके लिए जो कारण हैं उनके सहित, राज्य के विधान-मंडल के समक्ष रखा जाएगा और वह आदेश उस तारीख से जिसको राज्य विधान-मंडल उस आदेश के किए जाने के पश्चात् प्रथम बार बैठता है, तीस दिन की समाप्ति पर प्रवर्तन में नहीं रहेगा यदि उस अवधि की समाप्ति से पहले राज्य विधान-मंडल द्वारा उसका अनुमोदन नहीं कर दिया जाता है ।]

[2]**17. स्वशासी जिलों में निर्वाचन-क्षेत्रों के बनाने में ऐसे जिलों से क्षेत्रों का अपवर्जन--**राज्यपाल, [3][असम या मेघालय [4][या त्रिपुरा [5][या मिजोरम]] की विधान सभा] के निर्वाचनों के प्रयोजनों के लिए, आदेश द्वारा, यह घोषणा कर सकेगा कि, [6][यथास्थिति, असम या मेघालय [4][या त्रिपुरा [5][या मिजोरम]] राज्य में] किसी स्वशासी जिले के भीतर का कोई क्षेत्र ऐसे किसी जिले के लिए विधान सभा में आरक्षित स्थान या स्थानों को भरने के लिए किसी निर्वाचन-क्षेत्र का भाग नहीं होगा, किन्तु विधान सभा में इस प्रकार आरक्षित न किए गए ऐसे स्थान या स्थानों को भरने के लिए आदेश में विनिर्दिष्ट निर्वाचन-क्षेत्र का भाग होगा ।

[7]* * * * *

---

[1] आसाम पुनर्गठन (मेघालय) अधिनियम, 1969 (1969 का 55) की धारा 74 और चौथी अनुसूची द्वारा (2-4-1970 से) अंतःस्थापित ।

[2] संविधान छठी अनुसूची (संशोधन) अधिनियम, 2003 (2003 का 44) की धारा 2 द्वारा पैरा 17 असम राज्य को लागू करने में निम्नलिखित अंतःस्थापित किया गया, अर्थात् :--

"परन्तु इस पैरा की कोई बात बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र जिला को लागू नहीं होगी ।" ।

[3] पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 (1971 का 81) की धारा 71 और आठवीं अनुसूची द्वारा (21-1-1972 से) "असम की विधान सभा" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[4] संविधान (उनचासवां संशोधन) अधिनियम, 1984 की धारा 4 द्वारा (1-4-1985 से) अंतःस्थापित ।

[5] मिजोरम राज्य अधिनियम, 1986 (1986 का 34) की धारा 39 द्वारा (20-2-1987 से) अंतःस्थापित ।

[6] पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 (1971 का 81) की धारा 71 और आठवीं अनुसूची द्वारा (21-1-1972 से) अंतःस्थापित ।

[7] पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 (1971 का 81) की धारा 71 और आठवीं अनुसूची द्वारा (21-1-1972 से) पैरा 18 का लोप किया गया ।

(a) direct that a fresh general election shall be held immediately for the reconstitution of the Council, or

(b) subject to the previous approval of the Legislature of the State assume the administration of the area under the authority of such Council himself or place the administration of such area under the Commission appointed under the said paragraph or any other body considered suitable by him for a period not exceeding twelve months:

Provided that when an order under clause (a) of this paragraph has been made, the Governor may take the action referred to in clause (b) of this paragraph with regard to the administration of the area in question pending the reconstitution of the Council on fresh general election:

Provided further that no action shall be taken under clause (b) of this paragraph without giving the District or the Regional Council, as the case may be, an opportunity of placing its views before the Legislature of the State.

[1][(2) If at any time the Governor is satisfied that a situation has arisen in which the administration of an autonomous district or region cannot be carried on in accordance with the provisions of this Schedule, he may, by public notification, assume to himself all or any of the functions or powers vested in or exercisable by the District Council or, as the case may be, the Regional Council and declare that such functions or powers shall be exercisable by such person or authority as he may specify in this behalf, for a period not exceeding six months:

Provided that the Governor may by a further order or orders extend the operation of the initial order by a period not exceeding six months on each occasion.

(3) Every order made under sub-paragraph (2) of this paragraph with the reasons therefor shall be laid before the Legislature of the State and shall cease to operate at the expiration of thirty days from the date on which the State Legislature first sits after the issue of the order, unless, before the expiry of that period it has been approved by that State Legislature.]

[2]**17. Exclusion of areas from autonomous districts in forming constituencies in such districts.**—For the purposes of elections to [3][the Legislative Assembly of Assam or Meghalaya] [4][or Tripura] [5][or Mizoram], the Governor may by order declare that any area within an autonomous district [6][in the State of Assam or Meghalaya [3][or Tripura] [4][or Mizoram], as the case may be, shall not form part of any constituency to fill a seat or seats in the Assembly reserved for any such district but shall form part of a constituency to fill a seat or seats in the Assembly not so reserved to be specified in the order.

[7]* * * * *

---

[1] Ins. by the Assam Reorganisation (Meghalaya) Act, 1969 (55 of 1969), s. 74 and Fourth Sch. (w.e.f. 2-4-1970).

[2] Paragraph 17 has been amended in its application to the State of Assam by the Sixth Schedule to the Constitution (Amendment) Act, 2003 (44 of 2003), s. 2 , so as to insert the following proviso, namely: —

"Provided that nothing in this paragraph shall apply to the Bodoland Territorial Areas District.".

[3] Subs. by the North-Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971 (81 of 1971), s. 71 (i) and Eighth Sch., for "the Legislative Assembly of the Assam" (w.e.f. 21-1-1972).

[4] Ins. by the Constitution (Forty-ninth Amendment) Act, 1984, s. 4 (w.e.f. 1-4-1985).

[5] Ins. by the State of Mizoram Act, 1986 (34 of 1986), s. 39 (w.e.f. 20-2-1987).

[6] Ins. by the North-Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971 (81 of 1971), s. 71 (i) and Eighth Sch. (w.e.f. 21-1-1972).

[7] Paragraph 18 omitted by s. 71 (i) and Eighth Sch., ibid. (w.e.f. 21-1-1972).

[1]19. संक्रमणकालीन उपबंध--(1) राज्यपाल, इस संविधान के प्रारंभ के पश्चात् यथासंभव शीघ्र, इस अनुसूची के अधीन राज्य में प्रत्येक स्वशासी जिले के लिए जिला परिषद् के गठन के लिए कार्रवाई करेगा और जब तक किसी स्वशासी जिले के लिए जिला परिषद् इस प्रकार गठित नहीं की जाती है तब तक ऐसे जिले का प्रशासन राज्यपाल में निहित होगा और ऐसे जिले के भीतर के क्षेत्रों के प्रशासन को इस अनुसूची के पूर्वगामी उपबंधों के स्थान पर निम्नलिखित उपबंध लागू होंगे, अर्थात् :--

(क) संसद् का या उस राज्य के विधान-मंडल का कोई अधिनियम ऐसे क्षेत्र को तब तक लागू नहीं होगा जब तक राज्यपाल, लोक अधिसूचना द्वारा, इस प्रकार निदेश नहीं दे देता है और राज्यपाल किसी अधिनियम के संबंध में ऐसा निदेश देते समय यह निदेश दे सकेगा कि वह अधिनियम ऐसे क्षेत्र या उसके किसी विनिर्दिष्ट भाग को लागू होने में ऐसे अपवादों या उपांतरणों के अधीन रहते हुए प्रभावी होगा जो वह ठीक समझता है ;

(ख) राज्यपाल ऐसे किसी क्षेत्र की शांति और सुशासन के लिए विनियम बना सकेगा और इस प्रकार बनाए गए विनियम संसद् के या उस राज्य के विधान-मंडल के किसी अधिनियम का या किसी विद्यमान विधि का, जो ऐसे क्षेत्र को तत्समय लागू हैं, निरसन या संशोधन कर सकेंगे ।

(2) राज्यपाल द्वारा इस पैरा के उपपैरा (1) के खंड (क) के अधीन दिया गया कोई निदेश इस प्रकार दिया जा सकेगा कि उसका भूतलक्षी प्रभाव हो ।

(3) इस पैरा के उपपैरा (1) के खंड (ख) के अधीन बनाए गए सभी विनियम राष्ट्रपति के समक्ष तुरंत प्रस्तुत किए जाएंगे और जब तक वह उन पर अनुमति नहीं दे देता है तब तक उनका कोई प्रभाव नहीं होगा ।

[2][**20. जनजाति क्षेत्र**--(1) नीचे दी गई सारणी के भाग 1, भाग 2 [3][, भाग 2क] और भाग 3 में विनिर्दिष्ट क्षेत्र क्रमशः असम राज्य, मेघालय राज्य [3][, त्रिपुरा राज्य] और मिजोरम [4][राज्य] के जनजाति क्षेत्र होंगे ।

(2) [5][नीचे दी गई सारणी के भाग 1, भाग 2 या भाग 3 में] किसी जिले के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 की धारा 2 के खंड (ख) के अधीन नियत किए गए दिन से ठीक पहले विद्यमान उस नाम के स्वशासी जिले में समाविष्ट राज्यक्षेत्रों के प्रति निर्देश हैं :

परन्तु इस अनुसूची के पैरा 3 के उपपैरा (1) के खंड (ङ) और खंड (च), पैरा 4, पैरा 5, पैरा 6, पैरा 8 के उपपैरा (2), उपपैरा (3) के खंड (क), खंड (ख) और खंड (घ) और उपपैरा (4) तथा पैरा 10 के उपपैरा (2) के खंड (घ) के प्रयोजनों के लिए, शिलांग नगरपालिका में समाविष्ट क्षेत्र के किसी भाग के बारे में यह नहीं समझा जाएगा कि वह [6][खासी पहाड़ी जिले] के भीतर है ।

---

[1] संविधान छठी अनुसूची (संशोधन) अधिनियम, 2003 (2003 का 44) की धारा 2 द्वारा पैरा 19 असम राज्य को लागू करने में निम्नलिखित रूप से संशोधित किया गया जिससे उपपैरा (3) के पश्चात् निम्नलिखित अंतःस्थापित किया गया अर्थात् :--

'(4) इस अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात्, यथाशीघ्र असम में बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र जिले के लिए एक अंतरिम कार्यपालक परिषद्, राज्यपाल द्वारा बोडो आन्दोलन के नेताओं में से, जिनके अंतर्गत समझौते के ज्ञापन के हस्ताक्षरकर्ता भी हैं, बनाई जाएगी और उसमें उस क्षेत्र के गैर जनजातीय समुदायों को भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाएगा :

परंतु अन्तरिम परिषद् छह मास की अवधि के लिए होगी जिसके दौरान परिषद् का निर्वाचन कराने का प्रयास किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण--इस उपपैरा के प्रयोजनों के लिए, ''समझौते का ज्ञापन'' पद से भारत सरकार, असम सरकार और बोडो लिबरेशन टाइगर्स के बीच 10 फरवरी, 2003 को हस्ताक्षरित ज्ञापन अभिप्रेत है ।'।

[2] पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 (1971 का 81) की धारा 71 और आठवीं अनुसूची द्वारा (21-1-1972 से) ''पैरा 20 और 20क के'' के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[3] संविधान (उनचासवां संशोधन) अधिनियम, 1984 की धारा 4 द्वारा (1-4-1985 से) अंतःस्थापित ।

[4] मिजोरम राज्य अधिनियम, 1986 (1986 का 34) की धारा 39 द्वारा (20-2-1987 से) ''संघ राज्यक्षेत्र'' के स्थान पर प्रतिस्थापित ।।

[5] संविधान (उनचासवां संशोधन) अधिनियम, 1984 की धारा 4 द्वारा (1-4-1985 से) '' नीचे दी गई सारणी में '' के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[6] मेघालय सरकार के अधिसूचना सं0 डी.सी.ए. 31/ 72/11, तारीख 14 जून, 1973, मेघालय का राजपत्र, भाग V क, तारीख 23-6-1973 पृ. 200 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[1]**19. Transitional provisions.**—(1) As soon as possible after the commencement of this Constitution the Governor shall take steps for the constitution of a District Council for each autonomous district in the State under this Schedule and, until a District Council is so constituted for an autonomous district, the administration of such district shall be vested in the Governor and the following provisions shall apply to the administration of the areas within such district instead of the foregoing provisions of this Schedule, namely:—

(*a*) no Act of Parliament or of the Legislature of the State shall apply to any such area unless the Governor by public notification so directs; and the Governor in giving such a direction with respect to any Act may direct that the Act shall, in its application to the area or to any specified part thereof, have effect subject to such exceptions or modifications as he thinks fit;

(*b*) the Governor may make regulations for the peace and good government of any such area and any regulations so made may repeal or amend any Act of Parliament or of the Legislature of the State or any existing law which is for the time being applicable to such area.

(2) Any direction given by the Governor under clause (*a*) of sub-paragraph (1) of this paragraph may be given so as to have retrospective effect.

(3) All regulations made under clause (*b*) of sub-paragraph (1) of this paragraph shall be submitted forthwith to the President and, until assented to by him, shall have no effect.

[2][20. Tribal areas.—(1) The areas specified in Parts I, II [3][, IIA] and III of the table below shall respectively be the tribal areas within the State of Assam, the State of Meghalaya [9][, the State of Tripura] and the [4][State] of Mizoram.

(2) [5][Any reference in Part I, Part II or Part III of the table below] to any district shall be construed as a reference to the territories comprised within the autonomous district of that name existing immediately before the day appointed under clause (*b*) of section 2 of the North-Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971:

Provided that for the purposes of clauses (*e*) and (*f*) of sub-paragraph (1) of paragraph 3, paragraph 4, paragraph 5, paragraph 6, sub-paragraph (2), clauses (*a*), (*b*) and (*d*) of sub-paragraph (3) and sub-paragraph (4) of paragraph 8 and clause (*d*) of sub-paragraph (2) of paragraph 10 of this Schedule, no part of the area comprised within the municipality of Shillong shall be deemed to be within the [6][Khasi Hills District].

---

[1] Paragraph 19 has been amended in its application to the State of Assam by s. 2, *ibid.*, so as to insert the following sub-paragraph after sub-paragraph (3), namely :—

"(4) As soon as possible after the commencement of this Act, and Interim Executive Council for Bodoland Territorial Areas District in Assam shall be formed by the Governor from amongst leaders of the Bodo movement, including the signatories to the Memorandum of Settlement, and shall provide adequate representation to the non-tribal communities in that area:

Provided that Interim Council shall be for a period of six months during which endeavour to hold the election to the Council shall be made.

Explanation.-- For the purposes of this sub-paragraph, the expression "Memorandum of Settlement" means the Memorandum signed on the 10th day of February, 2003 between Government of India, Government of Assam and Bodo Liberation Tigers." .

[2] Subs. by the North-Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971 (81 of 1971), s. 71 (i) and Eighth Sch., for paragraphs 20 and 20A (w.e.f. 21-1-1972).

[3] Ins. by the Constitution (Forty-ninth Amendment) Act, 1984, s. 4 (w.e.f. 1-4-1985).

[4] Subs. by the State of Mizoram Act, 1986 (34 of 1986), s. 39, for "Union territory" (w.e.f. 20-2-1987).

[5] Subs. by the Constitution (Forty-ninth Amendment) Act, 1984, s. 4, for "Any reference in the Table below" (w.e.f. 1-4-1985).

[6] Subs. by the Government of Meghalaya Notification No. DCA 31/72/11 dated the 14th June, 1973, Gazette of Meghalaya, Pt. VA, dated 23-6-1973, p. 200.

[2][(3) नीचे दी गई सारणी के भाग 2क में "त्रिपुरा जनजाति क्षेत्र जिला" के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह त्रिपुरा जनजाति क्षेत्र स्वशासी जिला परिषद् अधिनियम, 1979 की पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट जनजाति क्षेत्रों में समाविष्ट राज्यक्षेत्र के प्रति निर्देश है ।]

सारणी

भाग 1

1. उत्तरी कछार पहाड़ी जिला ।
[1]2. [2][कार्बी आंगलांग जिला ।]

भाग 2

[3][1. खासी पहाड़ी जिला ।
2. जयंतिया पहाड़ी जिला ।]
3. गारो पहाड़ी जिला ।

[4][**भाग 2क**

त्रिपुरा जनजाति क्षेत्र जिला ।]

भाग 3

[5]* * * *
[6][1. चकमा जिला ।
[7][2. मारा जिला ।
3. लई जिला ।]]

[8]**[20क. मिजो जिला परिषद् का विघटन**--(1) इस अनुसूची में किसी बात के होते हुए भी, विहित तारीख से ठीक पहले विद्यमान मिजो जिले की जिला परिषद् (जिसे इसमें इसके पश्चात् मिजो जिला परिषद् कहा गया है) विघटित हो जाएगी और विद्यमान नहीं रह जाएगी ।

(2) मिजोरम संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासक, एक या अधिक आदेशों द्वारा, निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेगा, अर्थात् :--

(क) मिजो जिला परिषद् की आस्तियों, अधिकारों और दायित्वों का (जिनके अतंर्गत उसके द्वारा की गई किसी संविदा के अधीन अधिकार और दायित्व हैं) पूर्णतः या भागतः संघ को या किसी अन्य प्राधिकारी को अंतरण ;

---

[1] संविधान छठी अनुसूची (संशोधन) अधिनियम, 2003 (2003 का 44) की धारा 2 द्वारा असम राज्य को लागू करने में पैरा 20 की सारणी के भाग 1 में प्रविष्टि 2 के पश्चात् निम्नलिखित प्रविष्टि अंतःस्थापित की गई, अर्थात् :--
"3. बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र जिला ।" ।

[2] असम सरकार द्वारा तारीख 14-10-1976 की अधिसूचना सं टी.ए.डी/आर 115/74/47 द्वारा "मिकीर पहाडी जिला" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[3] मेघालय सरकार की अधिसूचना सं डी.सी.ए. 31/72/11 तारीख 14 जून, 1973 मेघालय का राजपत्र, भाग V क, तारीख 23-6-1973 पृष्ठ 200 द्वारा प्रतिस्थापित ।

[4] संविधान उनचासवां सशोधन् अधिनियम 1984 की धारा 4 द्वारा (1-4-1985 से) अन्तःस्थापित ।

[5] संघ राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) अधिनियम, 1971 (1971 का 83) की धारा 13 द्वारा (29-4-1972 से) "मिजो जिला" शब्दों का लोप किया गया ।

[6] मिजोरम का राजपत्र 1972, तारीख 5 मई, 1972, जिल्द 1, भाग II, पृ0 17 में प्रकाशित मिजोरम जिला परिषद् (प्रकीर्ण उपबंध) आदेश, 1972 द्वारा (29-4-1972 से) अंतःस्थापित ।

[7] संविधान छठी अनुसूची (संशोधन) अधिनियम, 1988 (1988 का 67) की धारा 2 द्वारा क्रम सं0 2 और 3 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[8] संघ राज्यक्षेत्र सासन (संशोधन) अधिनियम, 1971 (1971 का 83) की धारा 13 द्वारा (29-4-1972 से), पैरा 20क के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2][(3) The reference in Part IIA in the table below to the "Tripura Tribal Areas District" shall be construed as a reference to the territory comprising the tribal areas specified in the First Schedule to the Tripura Tribal Areas Autonomous District Council Act, 1979.]

TABLE

PART I

1. The North Cachar Hills District.

[1]2. [2][The Karbi Anglong District.]

[3][3. The Bodoland Territorial Areas District.]

PART II

[1][1. Khasi Hills District.

2. Jaintia Hills District.]

3. The Garo Hills District.

[4][PART IIA

Tripura Tribal Areas District]

PART III

[5]* * *

[6][1. The Chakma District.

[7][2. The Mara District.

2. The Lai District.]]

3.

[8][20A. Dissolution of the Mizo District Council.—(1) Notwithstanding anything in this Schedule, the District Council of the Mizo District existing immediately before the prescribed date (hereinafter referred to as the Mizo District Council) shall stand dissolved and cease to exist.

(2) The Administrator of the Union territory of Mizoram may, by one or more orders, provide for all or any of the following matters, namely:—

(*a*) the transfer, in whole or in part, of the assets, rights and liabilities of the Mizo District Council (including the rights and liabilities under any contract made by it) to the Union or to any other authority;

[1] In Paragraph 20 No. 3 in Part II of the table has been inserted so as to its application to the State of Assam by the Sixth Schedule to the Constitution (Amendment) Act, 2003 (44 of 2003), s. 2, namely: —

"3. the Bodoland Territorial Areas District."

[2] Subs. by the Government of Assam Notification No. TAD/R/115/74/47 dated the 14-10-1976, for "The Mikir Hills District".

[3] Ins. by the Sixth Schedule to the Constitution (Amendment) Act, 2003 (44 of 2003), s. 2.

[4] Ins. by the Constitution (Forty-ninth Amendment) Act, 1984, s. 4 (w.e.f. 1-4-1985).

[5] The words "The Mizo District" omitted by the Government of Union Territories (Amendment) Act, 1971 (83 of 1971), s. 13 (w.e.f. 29-4-1972).

[6] Ins. by the Mizoram District Councils (Miscellaneous Provisions) Order, 1972, published in the Mizoram Gazette, 1972, dated the 5th May, 1972, Vol. I, Pt. II, p. 17 (w.e.f 29-4-1972).

[7] Subs. by the Sixth Schedule to the Constitution (Amendment) Act, 1988 (67 of 1988), s. 2, for serial numbers 2 and 3 and the entries relating thereto.

[8] Subs. by the Government of Union Territories (Amendment) Act, 1971 (83 of 1971), s. 13, for paragraph 20A (w.e.f. 29-4-1972).

(ख) किन्हीं ऐसी विधिक कार्यवाहियों में, जिनमें मिजो जिला परिषद् एक पक्षकार है, मिजो जिला परिषद् के स्थान पर संघ का या किसी अन्य प्राधिकारी का पक्षकार के रूप में रखा जाना अथवा संघ का या किसी अन्य प्राधिकारी का पक्षकार के रूप में जोड़ा जाना ;

(ग) मिजो जिला परिषद् के किन्हीं कर्मचारियों का संघ को या किसी अन्य प्राधिकारी को अथवा उसके द्वारा अंतरण या पुनर्नियोजन, ऐसे अंतरण या पुनर्नियोजन के पश्चात् उन कर्मचारियों को लागू होने वाले सेवा के निबंधन और शर्तें ;

(घ) मिजो जिला परिषद् द्वारा बनाई गई और उसके विघटन से ठीक पहले प्रवृत्त किन्हीं विधियों का, ऐसे अनुकूलनों और उपांतरणों के, चाहे वे निरसन के रूप में हों या संशोधन के रूप में, अधीन रहते हुए जो प्रशासक द्वारा इस निमित्त किए जाएं, तब तक प्रवृत्त बना रहना जब तक किसी सक्षम विधान-मंडल द्वारा या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसी विधियों में परिवर्तन, निरसन या संशोधन नहीं कर दिया जाता है ;

(ङ) ऐसे आनुषंगिक, पारिणामिक और अनुपूरक विषय जो प्रशासक आवश्यक समझे ।

स्पष्टीकरण--इस पैरा में और इस अनुसूची के पैरा 20ख में, "विहित तारीख" पद से वह तारीख अभिप्रेत है जिसको मिजोरम संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा का, संघ राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम, 1963 के उपबंधों के अधीन और उनके अनुसार, सम्यक् रूप से गठन होता है ।

[1-2]**20ख. मिजोरम संघ राज्यक्षेत्र में स्वशासी प्रदेशों का स्वशासी जिले होना और उसके पारिणामिक संक्रमणकालीन उपबंध** --(1) इस अनुसूची में किसी बात के होते हुए भी,--

(क) मिजोरम संघ राज्यक्षेत्र में विहित तारीख से ठीक पहले विद्यमान प्रत्येक स्वशासी प्रदेश उस तारीख को और से उस संघ राज्यक्षेत्र का स्वशासी जिला (जिसे इसमें इसके पश्चात्, तत्स्थानी नया जिला कहा गया है) हो जाएगा और उसका प्रशासक, एक या अधिक आदेशों द्वारा, निदेश दे सकेगा कि इस अनुसूची के पैरा 20 में (जिसके अंतर्गत उस पैरा से संलग्न सारणी का भाग 3 है) ऐसे पारिणामिक संशोधन किए जाएंगे जो इस खंड के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक हैं और तब उक्त पैरा और उक्त भाग 3 के बारे में यह समझा जाएगा कि उनका तद्नुसार संशोधन कर दिया गया है ;

(ख) मिजोरम संघ राज्यक्षेत्र में विहित तारीख से ठीक पहले विद्यमान स्वशासी प्रदेश की प्रत्येक प्रादेशिक परिषद् (जिसे इसमें इसके पश्चात् विद्यमान प्रादेशिक परिषद् कहा गया है) उस तारीख को और से और जब तक तत्स्थानी नए जिले के लिए परिषद् का सम्यक् रूप से गठन नहीं होता है तब तक, उस जिले की जिला परिषद् (जिसे इसमें इसके पश्चात् तत्स्थानी नई जिला परिषद् कहा गया है) समझी जाएगी ।

---

[1] संविधान छठी अनुसूची (संशोधन) अधिनियम, 1995 (1995 का 42) की धारा 2 द्वारा असम में लागू होने के लिए पैरा 20ख के पश्चात् निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया गया, अर्थात् :-

"**20खक. राज्यपाल द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन में वैवेकिक शक्तियो का प्रयोग**--राज्यपाल, इस अनुसूची के पैरा 1 के उपपैरा (2) और उपपैरा (3), पैरा 2 के उपपैरा (1), उपपैरा (6), उपपैरा (6क) के पहले परन्तुक को छोड़कर और उपपैरा (7), पैरा 3 के उपपैरा (3), पैरा 4 के उपपैरा (4), पैरा 5, पैरा 6 के उपपैरा (1), पैरा 7 के उपपैरा (2), पैरा 8 के उपपैरा (4), पैरा 9 के उपपैरा (3), पैरा 10 के उपपैरा (3), पैरा 14 के उपपैरा (1), पैरा 15 के उपपैरा (1) और पैरा 16 के उपपैरा (1) और उपपैरा (2) के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन में, मंत्रिपरिषद् और, यथास्थिति, उत्तरी कछार पहाड़ी स्वशासी परिषद् या कार्बी आंगलांग पहाड़ी स्वशासी परिषद से परामर्श करने के पश्चात् ऐसी कार्रवाई करेगा, जो वह स्वविवेकानुसार आवश्यक मानता है ।" ।

[2] संविधान छठी अनुसूची (संशोधन) अधिनियम, 1988 (1988 का 67) की धारा 2 द्वारा त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों को लागू करने में, पैरा 20ख के पश्चात् निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया गया है, अर्थात् :-

"**20खख. राज्यपाल द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन में वैवेकिक शक्तियों का प्रयोग**--राज्यपाल, इस अनुसूची के पैरा 1 के उपपैरा (2) और उपपैरा (3), पैरा 2 के उपपैरा (1) और उपपैरा (7), पैरा 3 का उपपैरा (3), पैरा 4 का उपपैरा (4), पैरा 5, पैरा 6 का उपपैरा (1), पैरा 7 का उपपैरा (2), पैरा 9 का उपपैरा (3), पैरा 14 का उपपैरा (1) और पैरा 16 का उपपैरा (1) और उपपैरा (2) के अधीन अपने कृत्यों के निर्वहन में, मंत्रिपरिषद् से और यदि वह आवश्यक समझे तो संबंधित जिला परिषद् या प्रादेशिक परिषद् से परामर्श करने के पश्चात्, ऐसी कार्रवाई करेगा, जो वह स्वविवेकानुसार आवश्यक समझे ।"।

(*b*) the substitution of the Union or any other authority for the Mizo District Council, or the addition of the Union or any other authority, as a party to any legal proceedings to which the Mizo District Council is a party;

(*c*) the transfer or re-employment of any employees of the Mizo District Council to or by the Union or any other authority, the terms and conditions of service applicable to such employees after such transfer or re-employment;

(*d*) the continuance of any laws, made by the Mizo District Council and in force immediately before its dissolution, subject to such adaptations and modifications, whether by way of repeal or amendment, as the Administrator may make in this behalf, until such laws are altered, repealed or amended by a competent Legislature or other competent authority;

(*e*) such incidental, consequential and supplementary matters as the Administrator considers necessary.

Explanation.—In this paragraph and in paragraph 20B of this Schedule, the expression "prescribed date" means the date on which the Legislative Assembly of the Union territory of Mizoram is duly constituted under and in accordance with the provisions of the Government of Union Territories Act, 1963.

[1-2]**20B. Autonomous regions in the Union territory of Mizoram to be autonomous districts and transitory provisions consequent thereto**.—(1) Notwithstanding anything in this Schedule,—

(*a*) every autonomous region existing immediately before the prescribed date in the Union territory of Mizoram shall, on and from that date, be an autonomous district in that Union territory (hereafter referred to as the corresponding new district) and the Administrator thereof may, by one or more orders, direct that such consequential amendments as are necessary to give effect to the provisions of this clause shall be made in paragraph 20 of this Schedule (including Part III of the table appended to that paragraph) and thereupon the said paragraph and the said Part III shall be deemed to have been amended accordingly;

(*b*) every Regional Council of an autonomous region in the Union territory of Mizoram existing immediately before the prescribed date (hereafter referred to as the existing Regional Council) shall, on and from that date and until a District Council is duly constituted for the corresponding new district, be deemed to be the District Council of that district (hereafter referred to as the corresponding new District Council).

---

[1] After paragraph 20B, the following paragraph has been inserted in its application to the State of Assam by the Sixth Schedule to the Constitution (Amendment) Act, 1995 (42 of 1995), s. 2, namely:-

"**20BA. Exercise of discretionary powers by the Governor in the discharge of his functions.--** The Governor in the discharge of his functions under sub-paragraphs (2) and (3) of paragraph 1, sub-paragraphs (1), (6), sub-paragraph (6A) excluding the first proviso and sub-paragraph (7) of paragraph 2, sub-paragraph (3) of paragraph 3, sub-paragraph (4) of paragraph 4, paragraph 5, sub-paragraph (1) of paragraph 6, sub-paragraph (2) of paragraph 7, sub-paragraph (4) of paragraph 8, sub-paragraph (3) of paragraph 9, sub-paragraph (3) of paragraph 10, sub-paragraph (1) of paragraph 14, sub-paragraph (1) of paragraph 15 and sub-paragraphs (1) and (2) of paragraph 16 of this Schedule, shall, after consulting the Council of Ministers and the North Cachar Hills Autonomous Council or the Karbi Anglong Autonomous Council, as the case may be, take such action as he considers necessary in his discretion." .

[2] After paragraph 20B, the following paragraph has been inserted in its application to the States of Tripura and Mizoram, by the Sixth Schedule to the Constitution (Amendment) Act, 1988 (67 of 1988), s. 2, namely:--

"20BB. Exercise of discretionary powers by the Governor in the discharge of his functions.-The Governor, in the discharge of his functions under sub-paragraphs (2) and (3) of paragraph 1, sub-paragraphs (1) and (7) of paragraph 2, sub-paragraph (3) of paragraph 3, sub-paragraph (4) of paragraph 4, paragraph 5, sub-paragraph (1) of paragraph 6, sub-paragraph (2) of paragraph 7, sub- paragraph (3) of paragraph 9, sub-paragraph (1) of paragraph 14, sub-paragraph (1) of paragraph 15 and sub-paragraphs (1) and (2) of paragraph 16 of this Schedule, shall, after consulting the Council of Ministers, and if he thinks it necessary, the District Council or the Regional Council concerned, take such action as he considers necessary in his discretion." .

(2) विद्यमान प्रादेशिक परिषद् का प्रत्येक निर्वाचित या नामनिर्देशित सदस्य तत्स्थानी नई जिला परिषद् के लिए, यथास्थिति, निर्वाचित या नामनिर्देशित समझा जाएगा और तब तक पद धारण करेगा जब तक इस अनुसूची के अधीन तत्स्थानी नए जिले के लिए जिला परिषद् का सम्यक् रूप से गठन नहीं होता है ।

(3) जब तक तत्स्थानी नई जिला परिषद् द्वारा इस अनुसूची के पैरा 2 के उपपैरा (7) और पैरा 4 के उपपैरा (4) के अधीन नियम नहीं बनाए जाते हैं तब तक विद्यमान प्रादेशिक परिषद् द्वारा उक्त उपबंधों के अधीन बनाए गए नियम, जो विहित तारीख से ठीक पहले प्रवृत्त हैं, तत्स्थानी नई जिला परिषद् के संबंध में ऐसे अनुकूलनों और उपांतरणों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे जो मिजोरम संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासक द्वारा उनमें किए जाएं ।

(4) मिजोरम संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासक, एक या अधिक आदेशों द्वारा, निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबंध कर सकेगा, अर्थात् :--

(क) विद्यमान प्रादेशिक परिषद् की आस्तियों, अधिकारों और दायित्वों का (जिनके अंतर्गत उसके द्वारा की गई किसी संविदा के अधीन अधिकार और दायित्व हैं) पूर्णतः या भागतः तत्स्थानी नई जिला परिषद् को अंतरण ;

(ख) किन्हीं ऐसी विधिक कार्यवाहियों में, जिनमें विद्यमान प्रादेशिक परिषद् एक पक्षकार है, विद्यमान प्रादेशिक परिषद् के स्थान पर तत्स्थानी नई जिला परिषद् का पक्षकार के रूप में रखा जाना ;

(ग) विद्यमान प्रादेशिक परिषद् के किन्हीं कर्मचारियों का तत्स्थानी नई जिला परिषद् को अथवा उसके द्वारा अंतरण या पुनर्नियोजन ; ऐसे अंतरण या पुनर्नियोजन के पश्चात् उन कर्मचारियों को लागू होने वाले सेवा के निबंधन और शर्तें ;

(घ) विद्यमान प्रादेशिक परिषद् द्वारा बनाई गई और विहित तारीख से ठीक पहले प्रवृत्त किन्हीं विधियों का, ऐसे अनुकूलनों और उपांतरणों के, चाहे वे निरसन के रूप में हों या संशोधन के रूप में, अधीन रहते हुए जो प्रशासक द्वारा इस निमित्त किए जाएं, तब तक प्रवृत्त बना रहना जब तक सक्षम विधान-मंडल द्वारा या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसी विधियों में परिवर्तन, निरसन या संशोधन नहीं कर दिया जाता है ;

(ङ) ऐसे आनुषंगिक, पारिणामिक और अनुपूरक विषय जो प्रशासक आवश्यक समझे ।

20ग. निर्वचन--इस निमित्त बनाए गए किसी उपबंध के अधीन रहते हुए, इस अनुसूची के उपबंध मिजोरम संघ राज्यक्षेत्र को उनके लागू होने में इस प्रकार प्रभावी होंगे--

(1) मानो राज्य के राज्यपाल और राज्य की सरकार के प्रति निर्देश अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासक के प्रति निर्देश हों ; ("राज्य की सरकार" पद के सिवाय) राज्य के प्रति निर्देश मिजोरम संघ राज्यक्षेत्र के प्रति निर्देश हों और राज्य विधान-मंडल के प्रति निर्देश मिजोरम संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा के प्रति निर्देश हों ;

(2) मानो--

(क) पैरा 4 के उपपैरा (5) में संबंधित राज्य की सरकार से परामर्श करने के उपबंध का लोप कर दिया गया हो ;

(ख) पैरा 6 के उपपैरा (2) में, "जिस पर राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है" शब्दों के स्थान पर "जिसके संबंध में मिजोरम संघ राज्यक्षेत्र की विधान सभा को विधियां बनाने की शक्ति है" शब्द रख दिए गए हों ;

(ग) पैरा 13 में, "अनुच्छेद 202 के अधीन" शब्दों और अंकों का लोप कर दिया गया हो ।]]

21. अनुसूची का संशोधन--(1) संसद्, समय-समय पर विधि द्वारा, इस अनुसूची के उपबंधों में से किसी का, परिवर्धन, परिवर्तन या निरसन के रूप में संशोधन कर सकेगी और जब अनुसूची का इस प्रकार संशोधन किया जाता है तब इस संविधान में इस अनुसूची के प्रति किसी निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह इस प्रकार संशोधित ऐसी अनुसूची के प्रति निर्देश है ।

(2) ऐसी कोई विधि जो इस पैरा के उपपैरा (1) में उल्लिखित है, इस संविधान के अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं समझी जाएगी ।

(2) Every member whether elected or nominated of an existing Regional Council shall be deemed to have been elected or, as the case may be, nominated to the corresponding new District Council and shall hold office until a District Council is duly constituted for the corresponding new district under this Schedule.

(3) Until rules are made under sub-paragraph (7) of paragraph 2 and sub-paragraph (4) of paragraph 4 of this Schedule by the corresponding new District Council, the rules made under the said provisions by the existing Regional Council and in force immediately before the prescribed date shall have effect in relation to the corresponding new District Council subject to such adaptations and modifications as may be made therein by the Administrator of the Union territory of Mizoram.

(4) The Administrator of the Union territory of Mizoram may, by one or more orders, provide for all or any of the following matters, namely:—

(*a*) the transfer in whole or in part of the assets, rights and liabilities of the existing Regional Council (including the rights and liabilities under any contract made by it) to the corresponding new District Council;

(*b*) the substitution of the corresponding new District Council for the existing Regional Council as a party to the legal proceedings to which the existing Regional Council is a party;

(*c*) the transfer or re-employment of any employees of the existing Regional Council to or by the corresponding new District Council, the terms and conditions of service applicable to such employees after such transfer or re-employment;

(*d*) the continuance of any laws made by the existing Regional Council and in force immediately before the prescribed date, subject to such adaptations and modifications, whether by way of repeal or amendment, as the Administrator may make in this behalf until such laws are altered, repealed or amended by a competent Legislature or other competent authority;

(*e*) such incidental, consequential and supplementary matters as the Administrator considers necessary.

20C. Interpretation.—Subject to any provision made in this behalf, the provisions of this Schedule shall, in their application to the Union territory of Mizoram, have effect—

(1) as if references to the Governor and Government of the State were references to the Administrator of the Union territory appointed under article 239, references to State (except in the expression "Government of the State") were references to the Union territory of Mizoram and references to the State Legislature were references to the Legislative Assembly of the Union territory of Mizoram;

(2) as if—

(*a*) in sub-paragraph (5) of paragraph 4, the provision for consultation with the Government of the State concerned had been omitted;

(*b*) in sub-paragraph (2) of paragraph 6, for the words "to which the executive power of the State extends", the words "with respect to which the Legislative Assembly of the Union territory of Mizoram has power to make laws" had been substituted;

(*c*) in paragraph 13, the words and figures "under article 202" had been omitted.

21. Amendment of the Schedule.—(1) Parliament may from time to time by law amend by way of addition, variation or repeal any of the provisions of this Schedule and, when the Schedule is so amended, any reference to this Schedule in this Constitution shall be construed as a reference to such Schedule as so amended.

(2) No such law as is mentioned in sub-paragraph (1) of this paragraph shall be deemed to be an amendment of this Constitution for the purposes of article 368.